

SHRI CHITTA BASU: Sir, I introduce the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Shri Ajit P. K. Jogi. . . Not here. Dr. Bapu Kaldate

### DOMESTIC WORKERS' (CONDITIONS OF SERVICE) BILL, 1989

डा० बापू कादरते (महाराष्ट्र) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से घरेलू कर्मकार (सेवा की शर्तें) विधेयक, 1989 को पुरःस्थापित करने की अनुमति मांगता हूँ ।

*The question was put and the motion was adopted.*

डा. बापू कादरते : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ ।

### ABOLITION OF CAPITAL PUNISHMENT BILL, 1989

डा. बापू कादरते (महाराष्ट्र) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से "मृत्यु दंड की समाप्ति विधेयक", 1989 को पुरःस्थापित करने की अनुमति मांगता हूँ ।

*The question was put and the motion was adopted.*

डा. बापू कादरते : महोदय मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ ।

### CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 1988

(to amend the Tenth Schedule—  
continued)

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL (Punjab): Mr. Vice-Chairman, Sir, since 10th March when I moved this Bill for discussion, which remained inconclusive then, two specific cases have further reinforced my opinion about the necessity to incorporate in the Tenth Schedule to the Constitution the amendment suggested by

me so that the loopholes in the anti-defection law are effectively plugged and no one is able to treat with contempt a constitutional mandate enshrined in the Constitution by a unanimous approval of both Houses of Parliament.

Sir, on 15th and 16th of March there was bedlam in the House over the leakage of the Thakkar Commission Report on assassination of Smt. Indira Gandhi. I am not going into that matter at this stage. But, Sir, you would recollect that almost the entire Opposition except—with respect I want to refer to them—Shri Vajpayee and Shri Advani had temerarily converged in the well of the House and raised slogans against the Government. Now, Sir, to comment on the propriety of their action would be out of place in this discussion and also imprudent on my part because in retaliation to their action we also had to resort to slogan-shouting.

But why I make this point, why I refer to this incident is that one hon. Member, who was elected to this House on the Congress ticket but has been openly siding with the Opposition, associating himself with the activities of the Opposition, literally crossed the floor that day and rushed to the other side and raised anti-Government slogans more boisterously than any other Member of the Opposition. Sir, for quite some time he had severed all his emotional and other relations with the Congress. But the love for political position and power has kept him back from resigning his seat, from resigning from the Congress, lest he should lose his seat in Parliament. Against his wishes—I am not using the word "conscience" because "Conscience" he seemed to have lost already—he has obeyed the Congress (I) whips and voted with us only to ensure that he continues to be a Member of this House.

Sir, how do you describe such acts? I may be accused of being imprudent, but I cannot help calling it an outright fraud on the Constitutional provisions prohibiting political meretriciousness. A few Members of the Lok Sabha and those of an Assembly have acted likewise, all under the advice of their mentor who today

heads the new Janata Dal, without being a member of its parliamentary group because he won from Aizahabad not on the ticket of any of the merging constituents of the Janata Dal but as an independent and as such would have to resign his seat in the Lok Sabha before joining any political party. But that again he does not want to do, quite contrary to the protestations of his that he would never accept any position of power.

Sir, this is the scenario created today in the country by some self-seeking moralists swearing by value-based politics.

The second case, which I wish to refer to, is one in which another hon. Member of this House has changed his party but has upheld the basic principles of the anti-defection law. Shri Ram Naresh Yadav had five more years to go as a Member of this House. His long experience convinced him.

**SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA** (Uttar Pradesh): Don't forget Mr. Raj Mangal Pandey.

**SHRI PAWAN KUMAR BANSAL**: I will come to that.

His experience convinced him that the Janata Party of its new form, that is, the Janata Dal, was not discharging its functions of responsible and democratic political party, and he decided to join the Congress (I) under the leadership of Shri Rajiv Gandhi because he was further convinced that Congress (I) is the only party which is truly committed to the nation's all-round development, to the upliftment of the poor, to the principles of democracy, secularism and socialism. So, once he took that decision, he did not waver, he decided to quit the Janata Party and not to sabotage it from within.

Sir, further his motive was not to defraud the Constitution and the people. Before joining the Congress, he resigned his seat, his membership of this House. He honoured and followed the spirit of the relevant law. He showed courage and moral character without harping on the need of value-based politics or lamenting over the lack of it. The Congress on

its part admitted him to its fold and did not ask him to keep back in the Janata Dal and work against the party from within.

Sir, these two opposite cases eloquently reveal the motives, the real designs and the styles of functioning of different political parties.

Sir, another interesting example of the double standards and hypocrisy in political life has been furnished by the members of the Janata party merging with the Lok Dal and forming a new party named the "Janata Dal". In Parliament they sit as one ostensible group, but in the matter concerning the allotment of the symbol pending before the Supreme Court, they continue to assert that they are still the members of the Janata Party.

The Tenth Schedule to the Constitution clearly permits merger of parties and even splits therein provided that at least one-third of the members of that party consent to an action as that. In case more than two-thirds of the members take a particular decision, the remaining members who may be less than one-third, do not incur any disqualification because the decision, the initiative to leave a party was not theirs. Sir, disqualification follows only if less than one-third of the members take the first steps of splitting from their party. As such, the hon. Members who did not choose to follow other members of the Janata Party and the Lok Dal to join and merge into the new Janta Dal under a new master, because they considered the merger unprincipled and opportunistic, have the right to retain their original identity which was given to them at a time when they contested on the tickets of those respective parties and did not at any stage choose to leave those two parties. Sir, but in this situation the assertion in the Supreme Court by the erstwhile members of the Janata Party that they continue to be members of the Janata Party despite their having formed the Janata Dal and having duly got recognitions from the Presiding Officers of the two Houses of Parliament betrays nothing but hypocrisy.

This is a new development, Sir, which I did not visualise when I moved an amendment to the Tenth Schedule to the

[Shri Pawan Kumar Bansal]

Constitution and none of us visualised when Parliament passed the Constitutional Amendment Act to frame, for the first time, the anti-defection law. But we must today decide that if we really mean to cleanse the public life, to inject a spirit of righteousness in our body politic we must not remain complacent with the present position on checking defection. We must continuously review the working of the law and make amendments thereto wherever deemed necessary. But what we find is that instead of taking a moralistic approach, some people have even challenged the basic anti-defection law itself in the Supreme Court on *inter-alia*, the ground that it curtails the right of expression. I referred to that last time and would not like to repeat that but the only point that I want to make is that all those who were vociferously at one time championing the cause of framing anti-defection law are today wanting to wriggle out of it because they knew that their misdeeds are not permitted by a law as that.

Sir, while I seek to amend and add a new clause, that is, clause (c) to sub-para (1) of para 2 of the Tenth Schedule to the Constitution, I am conscious of the need, of the imperative, not to impinge upon or curtail the right of expression, the democratic right of expression of any Member of any elected House in any manner whatsoever. All that I am concerned with is, Sir, the immoral and unprincipled subversion of the lofty principle of the anti-defection law and the acts of those self-seeking politicians amongst us who, for mere sake of any position that they happen to hold at any particular moment of time, would not want to give it up notwithstanding all their moral sermons to the country. Therefore, I have also sought to explain the connotation of the word "opposing" by adding a proviso to clause (c) in the following terms:

"Provided that an opinion expressed by him which may be different from or at variance with known or expressed ideology or policy of the political party to which he belongs shall not be construed as opposing his party or severing association with his party."

Sir, to explain this, I will seek indulgence to just give one or two explanations. Sir, a situation may arise where a non-political forum or for that matter, even a political party convenes a meeting on a subject of national importance and to that meeting, symposium, convention or seminar, invitation is extended to members of various political parties who happen to be elected members of either Parliament or of State Legislatures on different party nominations. At that platform, if any of them takes a line contrary to the known view of his party, I am of the opinion that he will not incur disqualification under what I want to be added as a new ground of disqualification. For example, the unemployment problem is a problem of national importance, is a problem with which the Government is concerned. For instance the Bharatiya Janta Party convenes a meeting or ways and means to deal with the problem of unemployment in the country and I for one, am invited to that meeting and if I happen to take a line there disagreeing with the approach of my party—it is a hypothetical case that I am taking—I would not be deemed to be incurring any disqualification.

I am going a step ahead. Certain parties have their known ideology. There are some communal parties whom we wish to give up their communal stance. A non-political forum somewhere invites political leaders to a seminar on the communal situation in the country. There a member elected on the ticket of one of those communal parties speaks against the party line and openly pledges to work for strengthening the bonds of communal amity amongst the different communities that make what India today is. Now, if any person or any member of that party were to move an application against that party to the Presiding Officer of the House saying that he has violated the party line or spoken against the party ideology and should, therefore, be considered to have opposed that party or made common cause with somebody else and should, therefore, be disqualified under the new provisions which I seek to incorporate in the law, I suppose, that application would fail. It would not succeed. Why I give these examples, Sir, is because I want to reite-

rate what I said a little bit earlier that what we are concerned with is the immoral acts of some elected members for narrow political gains and not the expression of an opinion different from the known view of the party to which he belongs.

Two other provisions already in the Constitution take care of that. One deals with a voluntary resignation from the party and the second is regarding voting in the House against the whip of the party. Sir, at the time of discussion on that bill, the Prime Minister said that as time passes we would come across different lacunae in the Bill and we must then put our heads together to overcome those situations. But it was, as he then said, the end of the hour was to bring the anti-defection law on the statute book in the form of Constitutional provisions. A view was then expressed that even expulsion of a member from a party by the party leadership should incur this disqualification and a clause to that effect was there in the draft Bill. But, being a true democrat, the Prime Minister agreed to delete that clause because he was convinced that a provision as that could be misused by any party leadership. If because of some internal differences, the party leadership were to summon a member and tell him, "Look ! We do not like your face and, therefore, we are expelling you from the party", and if that act of theirs were to mean that he would even lose his seat in Parliament, that would be going too far. And rightly, therefore, that provision was not included because the Congress definitely stands for checking oligarchical tendencies anywhere in party leadership. But when we come across a position as exists today where the salutary provisions of the anti-defection law are being scoffed at, we have really got to think seriously as to what is wrong with the conduct of the members and what has really to be done to ensure that nobody in future misuses those provisions. Some people, particularly those who were discarded by the Congress or had to leave the Congress for reasons which were wholly unrelated to the ideology and the policies of the party, but were motivated and actuated

only by narrow political, personal, considerations, often accuse that the Congress party lacks internal democracy.

Sir, the view expressed by the Prime Minister when deleting a clause regarding the incurring of disqualification in case of expulsion from the party is an example which should rather quieten all the members who make such preposterous allegations. The Congress has always stood for democracy and the right of free and frank discussion in the party forum. Any and every matter which has come to Parliament has been debated by us at one meeting of the Congress Parliamentary Party or at various other levels where it was considered necessary to be discussed. Here, I want to add that even if a member has participated in any such discussion and still he feels that what the party is deciding is, perhaps, not the right and the most appropriate course to follow, he is still at liberty to express an opinion to the contrary. But if he were to continue to be a member of this party voting with us on a matter against which he speaks and otherwise works against the party, outside, I suppose it is the worst type of political dishonesty. It is to check such tendencies that I have moved this amendment in all humility and I am confident that it would get the support of all those honourable friends, of all those honourable Members, of this House who stand for value-based politics.

*The question was proposed.*

3.00 P.M.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभापति जी, मैं श्री पवन कुमार वांसल जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने संविधान की दसवीं अनुसूची के संशोधनार्थ संशोधन विधेयक पेश किया है और इस संशोधन के जरिये इस सदन को इस बात का अवसर मिला है कि सन् 1985 में जो संविधान में संशोधन हुआ था वह बदल के सम्बन्ध में उसने कहाँ तक ठीक प्रकार से काम किया है और उस में क्या कमियाँ रही हैं और क्या आज भी हमें उसमें संशोधन करने की आवश्यकता है या नहीं। यह बिलकुल सही है कि

[श्री अरुण प्रकाश मालवीय]

राजनैतिक जीवन में और राजनैतिक जीवन में वैयक्तिक होकर चाहिये, सफ और सुखी राजनीति होनी चाहिये और इनका ही विचार है जो सार्वजनिक जीवन में चाहिये। जो लोग चाहते हैं कि अपने विचारों को व्यक्त करते हुए विपक्ष के साथ व्यवहार नहीं किया है।

उपसभापति (श्री अरुण प्रकाश मालवीय) :  
उत्तम भाषण तो बहुत हुई लेकिन पर था।

श्री अरुण प्रकाश मालवीय : मैंने कहा है कि न्याय नहीं दिया है, लेकिन शुरू से इस देश में दलबदल की भावना की जा रही थी और बराबर जब जब इस देश में दल बदल रहे हैं उसकी निन्दा की गई है। वासल जी ने कुछ उदाहरण भी प्रस्तुत किये। मैं अपनी बात सन् 1952 में शुरू करना चाहूँगा जब इस देश के प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के नेता तथा स्वतन्त्रता सेनानी थे और उनका इस देश के राष्ट्रीय और सामाजिक जीवन में बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन 1952 में जब पहली बार मद्रास विधानसभा के चुनाव हुए और तब की कांग्रेस पार्टी जिसके नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वह बहुमत में नहीं आई। तो एक बाहर के व्यक्ति को विधान परिषद् का सदस्य नामांकित किया गया और वहाँ के मुख्य मंत्री बन गये और मुख्य मंत्री बनने के बाद जो कांग्रेस पार्टी भावना से थी कांग्रेसी बहुमत में परिवर्तित हो गई। दूसरा उदाहरण मैं देना चाहूँगा जो प्रधान मंत्री मन्मथ प्रसाद से लखी की विपक्ष की सरकार को राज्यपाल द्वारा गिराया गया। तीसरा उदाहरण मैं यह 1969 का देना चाहता हूँ। जब बंगलौर में कांग्रेस पार्टी की बैठक हुई तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी उस बैठक में मौजूद थीं। जो कुछ भी उन्होंने उस बैठक में राय दी लेकिन सर्वसम्मति से वहाँ पर फैसला हुआ कि

आगे आने वाले देश के राष्ट्रपति के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को और से श्री संजीव रेड्डी को चुना दिया जाय। और जो मुख्य मंत्री कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे वे हुए श्रीमती इन्दिरा गांधी के प्रधान मंत्री। तब से कांग्रेस प्रभुत्व किया गया संजीव रेड्डी जी के नामांकन में स्वयं श्रीमती इन्दिरा गांधी के हस्ताक्षर थे समर्थक के रूप में। फैसला हुआ है बैठक में श्रीमती इन्दिरा गांधी उस फैसले से भी अपने भावना व्यक्त करती हैं और जब त मौजूद होता है तो समर्थक के रूप में श्रीमती इन्दिरा गांधी उस में हस्तक्षर करती हैं। इतने करने के बाद अन्तरात्मा की पुकार के नाम पर अपना उम्मीदवार बदल देती हैं और श्री संजीव रेड्डी से अपना समर्थन वापस ले लेती हैं। मैं तो जहाँ तक जानता हूँ शायद प्रधान के चुनाव में इस प्रकार से कोई व्यक्ति अपनी अन्तरात्मा को नहीं बदलता लेकिन जो सारे देश की राजनीति की दृष्टि हुई उसका कारण इस देश की राजनीति में जो देश के बड़े-बड़े नेता हैं वास्तविक रूप में वह रहे। होते-होते 1985 में यह सही है कि जब यह संशोधन रखा गया और जिसकी ओर अभी वासल जी ने चर्चा भी की है कि आज वास्तविक रूप में आवश्यकता है कि इस दलबदल विधेयक में और संशोधन किया जाये और इसलिए प्रधान मंत्री जी ने 52वें संशोधन में 21 जनवरी, 85 को कहाँ की था :

"I would like to thank the Opposition for all the co-operation they have given us in this Bill and as I said while replying to the debate on the President's Address, we will be seeking their co-operation in everything we do. We will be open to suggestions, we will be open to ideals and we will be open to the criticism. We will try to carry the whole House with us on every major step that we take."

अब जो संशोधन आया था उस और मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। एक तो इसमें इस बात की व्यवस्था की गयी कि कोई सदस्य विधान सभा को, विधान परिषद को, राज्य सभा को या लोक सभा को अयोग्य हो भंग हो या नहीं हुआ है, इसका अधिकार उस सदन के जो प्रेसिडेंट अथवा अध्यक्ष हैं उनकी दिये गये अथवा विधान परिषद् के मामले में वहाँ के सभापति को, विधान सभा के मामले में वहाँ के अध्यक्ष को, लोक सभा के मामले में लोक सभा के अध्यक्ष को और राज्य सभा के मामले में राज्य सभा के सभापति को। उस समय की कुछ लोगों ने इस बात पर शंका व्यक्त की थी और मुझसे कहा था कि लोक सभा के अध्यक्ष को या राज्य सभा के सभापति को और विधान सभा या विधान परिषद् के अध्यक्षों को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाये, हालाँकि वह इसलिए किया था कि लोक सभा के जो अध्यक्ष या विधान सभाओं के अध्यक्ष होते हैं वे आमतौर पर जो राजनीति होती है उससे ऊपर होते हैं। लेकिन इधर लोकसभा या दूसरी विधान सभाओं और राज्य सभा में इस विषय को देखते हुए आज आवश्यक हो गयी है कि सरकार इस संवध में पुनर्विचार करे कि इस अधिकार को, कि कोई सदस्य अयोग्य हुआ है या नहीं हुआ है, कौन व्यक्ति या अधिकारी तय करेगा। मैंने उस समय भी आप संशोधन प्रस्तुत किया था कि इस अधिकार को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को दे देना चाहिए। विचार यहाँ पर आये और हमारे यहाँ के जो प्रेसिडेंट अथवा प्रेसिडेंट हैं वे उनकी वहाँ लेकर कर दें और सर्वोच्च न्यायालय के जजेज इस सिलसिले में फिलहाल हैं। एक तो यह भरोसा हुआ है। दूसरे इसमें एक व्यवस्था बड़ी असमानता की है। आप जानते हैं कि विधान परिषद् में भी और राज्य सभा में भी, वहाँ राज्यपाल और यहाँ पर देश के राष्ट्रपति कुछ सदस्यों को नामांकित करते हैं कि वे राज्यसभा के सदस्य हों जायें या विधान

परिषद् के सदस्य हों जायें। अगर कोई व्यक्ति स्वतंत्र चुनकर आता है आजाद, तो सदन के सदस्य बनने के बाद वह सदस्य नहीं रहे स्वतंत्र अगर किसी राजनीति पार्टी को सदस्यता को स्वीकार करता है और अगर वह यहाँ सम्भवतः मेरे भ्रम और राम नारायण यादव ने इस सदन को सदस्यता से हटाकर दे दिया। लेकिन वह अलग विषय है। लेकिन इसमें इस बात की व्यवस्था है कि जो सदस्य नामांकित किया जाये और अगर वह किसी राजनीति पार्टी का सदस्य नहीं है, स्वतंत्र है आजाद है तो 6 महीने तब तक समय उसको दिया गया है यह तय करने के लिए कि वह किसी भी पार्टी को सदस्यता का स्वीकार कर सकता है या नहीं। वह प्रोजेक्शन यह है :

“Clause 2(3): A nominated Member of a House shall be disqualified for being a Member of the House if he joins any political party after the expiry of six months from the date on which he takes his seat after complying with the requirements of article 99 or, as the case may be, article 188.”

और सब-क्लाज (2) में है :

“Sub-clause (2): An elected Member of a House who is elected except otherwise than as a candidate set up by a political party shall be disqualified for being a Member of the House if he joins any political party after such election.”

तो इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी सदस्य किसी भी राजनीति पार्टी या पेशे के राजनीति को स्वीकार करते हैं, 6 महीने उसको छुट्टी दी गयी है कि 6 महीने के अंदर जिस भी राजनीति दल को चाहे उसकी सदस्यता स्वीकार कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि यह संविधान के साथ एक धोखा है क्योंकि कभी ऐसी स्थिति हो सकती है

[श्री सत्यप्रकाश मालवीय]

कि किसी विधान परिषद में जो सत्ताधारी पार्टी है उसका बहुमत नहीं है यह राज्य सभा में जो सत्ताधारी पार्टी है उसका बहुमत नहीं है, अब नामांकन तो राष्ट्रपति जी करते नहीं हैं, न राज्यपाल जी करते हैं, जो सत्ताधारी पार्टी होती है वह जो नाम लिखकर राज्यपालों या राष्ट्रपति जी के पास भेज देती है उनको वे स्वीकार कर लेते हैं।

उनको वह स्वीकार कर लेते हैं, वा ऐसी स्थिति आ सकती है कि 11-12 आदमियों में हमारा बहुमत कम है तो 11-12 आदमियों को राष्ट्रपति जी ने राज्यपाल जी से सरकारी नामांकन करवा दिया। नामांकन करने के बाद वह लोग सत्ताधारी पार्टी की सदस्यता को स्वीकार कर लेंगे। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि इस संकल्प में भी सरकार को विचार करना चाहिए और मेरा स्वयं भी इस सम्बन्ध में एक बिल है। अगर कोर्टों में आ जाए तो उस पर चर्चा होगी।

(Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAG-  
ESH DESAI): Do you want that both  
should be saved?

SHRI SATYA PRAKASH MALAVI-  
YA): Yes, they should be saved. If I  
am independent, if I am nominated by  
the President, then I should not be allow-  
ed to join any political party. I must be  
allowed as an independent Member. That  
is my view.

SHRI S. S. AHLUWALIA (Bihar):  
Should Shri V. P. Singh continue as an  
independent Member?

(Interruptions)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : देखिए  
मैं उस पर भी आ रहा हूँ।

उप सभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) :  
देखिए, डिबेट का स्तर बहुत ऊंचा है,  
उसे ऊंचा ही रखिए।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : तो मेरा  
यह कहना है कि कानून के बदलने से  
भी दल-बदल नहीं एक सकता है।  
सवाल इच्छा-शक्ति का है। इस सदन के  
सदस्य थे आचार्य नरेन्द्र देव लेकिन  
1948 में उत्तर प्रदेश विधान सभा के  
सदस्य थे। उस समय यह तब हुआ,  
यह दोहरा सदस्यता वाला मामला है  
जिनका पवन कुमार वंसन जी ने चिन्तित  
तो नहीं किया, उनका मतलब था कि  
जनमोर्चा में रहा होगा ऐसा मैं समझ  
पाया हूँ। नाम नहीं लिया, लेकिन जब  
कांग्रेस पार्टी में यह तब हुआ कि जो  
लोग सोशलिस्ट पार्टी में हैं वे यह तब  
करें कि वे कांग्रेस में रहेंगे या सोशलिस्ट  
पार्टी में रहेंगे। यह उनको तब कता  
पड़ेगा। 1946 में आचार्य नरेन्द्र देव  
उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य थे।  
और उनके साथ 11 सदस्य और थे।  
दो उसने से आज भी जीवित हैं।

रघुकुल तिलक राज्यपाल रह चुके हैं  
और उत्तर प्रदेश पब्लिकसेंट्री सेक्रेटरी  
थे और एक हैं सर्वजीत लाल जी वर्मा  
फैजाबाद के, वह आगतकाल में हमारे  
साथ जेल में भी थे। आचार्य जी ने  
कहा कि मैं चूँकि कांग्रेस पार्टी से चुन  
करके विधान सभा का सदस्य आया हूँ  
इसलिए मैं अपनी सदस्यता से त्याग-पत्र  
देता हूँ। आचार्य जी ने खुद त्याग-पत्र  
दिया और 11 अन्य लोगों ने त्याग-पत्र  
दिया। राम चन्द्र विकल जी जानते  
होंगे। 12 लोगों ने त्याग-पत्र दिया।  
दुर्भाग्य इस देश का रहा कि 12 के  
12 लोग जब चुनाव लड़े तो जितने  
भी उनके मतदाता थे 12 लोगों को  
आचार्य नरेन्द्र देव जी सहित चुनाव में  
पराजय का मुँह देखना पड़ा। लेकिन  
कोई कानून नहीं था सिर्फ नतिकता  
के नाते आचार्य नरेन्द्र देव जी ने त्याग-पत्र  
दिया था। दो-तीन उदाहरण और हैं  
लेकिन एक उदाहरण और देना चाहूँगा।  
1982 में जब श्री हेमश्री नंदन बहुगुणा  
ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया उस  
समय गढ़वाल से लोक सभा के भी सदस्य  
चुने गए थे। बाद में जब चुनाव हुआ

उस चुनाव में क्या-क्या हुआ उसमें मैं जानना नहीं चाहता, सब लोग जानते हैं, लेकिन जब श्री हेमवती नंदन बहुगुणा जी ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से त्याग-पत्र दिया तो उन्होंने गढ़वाल की लोक सभा सीट से भी अपना त्याग-पत्र दे दिया। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारी इच्छा-वक्ति होनी चाहिए। कौन जानता था कि जिस व्यक्ति ने इस विधेयक को इस सदन में इंट्रोड्यूस किया उसकी आगे चल कर क्या करना पड़ेगा और इसलिए उनकी इच्छा-वक्ति इस बीच बहुत बदरी है और कैबिनेट-वरण में, 31 जनवरी 1985 को :

"It is the very essence of our system that we regard a party system as a necessary ingredient of our democratic functioning, that our parliamentary system functions through parties mechanism and through the interplay of party rivalries and hostilities our system flourishes in arriving at decisions freely given through opposition in a freely elected legislature at the Centre and in the States, which is accepted by the people as a proper verdict of the people..."

This is from Mr. A. K. Sen who has now joined the I.D. via the Morcha. He was then the Law Minister.

"This is the very essence of our system. Now the proposed law tries to maintain the sanctity of that system by outlawing individuals who come on party tickets, on certain principles and on certain programmes of parties and would overnight like to throw off all that on the basis of which they had come and change their party affiliations and group affiliations because we have seen from experience in the past that frequently, though not invariably, this change is motivated by unhealthy considerations, considerations of office, considerations of profit or other considerations which are not regarded as healthy in a democratic system like ours. We want to clean the political life. We want a verdict of the constituent authority, which is Parliament, exercising its power with a two-thirds majority of both Houses. We want a

clear verdict that hereafter these motivations will not be allowed to operate in our body politic."

लेकिन शायद उस वक्त सदन में भी तत्कालीन विधि मंत्री को इस बात का ख्याल नहीं रहा होगा कि एक दिन ऐसा आयेगा कि उनको अपनी पार्टी को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन फिर भी जिन स्थितियों में ऐसे लोगों को पार्टी छोड़नी पड़ेगी, वह फिर भी कानून की खासी की वजह से संसद भरना बने रह सकते हैं। मैं इन और अनेक आकृष्ट करती चाहता हूँ।

इसलिए यदि इसमें कुछ खराब समझ में आती है, तो उस आशय पर ध्यान देना चाहिए कि चार साल से कानून उस पर रहा है और किसी स्थिति में इस बीच में पैदा हुई है, जिनके बारे में, किसी को जान पड़ेगी नहीं कि और ध्यान भी नहीं पड़ा था।

क्या फिर एक स्थिति है ना कि सदन के बहाल हो एक राष्ट्रीय पार्टी के अग्रणी हैं और सदन के अंदर उस पालियमेट्री पार्टी के हा में सदन नहीं है—स्थिति पैदा हुई ना। मैं किसी को नास नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन अगर ऐसी स्थिति पैदा हुई है और दूसरी स्थिति क्या है कि हमारी पार्टी ने हमको अपनी सदस्यता में निरन्तर कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी चूंकि यह कानून उस पर लागू नहीं होता है, इसलिए हम संसद के सदस्य बने हुए हैं।

तीसरी क्या स्थिति है कि कुछ लोग विधान सभाओं में भी, विधान परिषदों में भी, हमारी राज्य सभा में और लोक सभा में भी असंबद्ध, अनग्रटेन्ड हो गये हैं। तो मैं निर्र यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इन सारी स्थिति की ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए और इसमें जो-जो कमी है उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए।





मान्यवर, बंसल जी का यह जो संशोधन विधेयक है, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैंने इसका हिंदी अनुवाद भी पढ़ा और इसलिए मैं चाहूंगा कि जब वह अपना उत्तर देंगे तो जो उन्होंने यह इशारा किया है, इसकी सफाई देंगे। उन्होंने कहा है—

"if he participates in a meeting convened by any other political party to make a common cause with that party opposing the political party to which he belongs...", he will incur disqualification.

मैंने इस पर डिस्कशन भी किया था बंसल जी ने जो मत लीजिए अटिचल 370 जो हमारी कंस्टीट्यूशन की है—जम्मू और कश्मीर के सिलसिले में, यह संशोधन में रहे या संविधान से इसको हटाया जाय, इस संबंध में कांग्रेस पार्टी अगर एका मीटिंग बुलाती है और दूसरी पार्टी के लोगों को बुलाती है और जो सिम्पोजियम होता है, उसमें हम चले जाते हैं तो मेरी तो यह समझ में आ रहा है कि अगर उस बैठक में कोई सदस्य चला जाएगा तो बाधक वह भी इसमें आ जाएगा। वह हो सकता है, हमारी समझ में फर्क हो जा इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता हो। मैं यह विवेकन करना चाहता हूं कि इस सिलसिले में बंसल जी, जब अपना उत्तर देंगे, इसकी सफाई भी करेंगे क्योंकि मैं तो यही समझ पा रहा हूं कि अगर किसी पोलिटिकल पार्टी की मीटिंग में कोई दूसरी पार्टी का सदस्य चला गया तो वहां जमे से ही वह अयोग्य हो जाएगा क्योंकि बाद में इन्होंने "आर" शब्द का इस्तेमाल किया है।

मान्यवर, मैं चाहूंगा कि इस संबंध में बंसल जी अपना स्पष्टीकरण करें। मैं बंसल जी के संशोधन का समर्थन तो नहीं करता। लेकिन उनको धन्यवाद अवश्य देना चाहता हूं कि उन्होंने एक मौका दिया इस सदन जो कि 1985 का संविधान संशोधन विधेयक है, उस पर विचार किया जाय कि इसमें क्या-क्या खामी है। मैं कहूंगा कि अगर सरकार इसको उचित समझती है तो एक व्यापक विधेयक आना चाहिये।

मैं समझता हूं कि पहले संपूर्ण विपक्ष ने बहुत जल्दबाजी में इस सिलसिले में काम किया क्योंकि श्री राजीव गांधी दो-तिहाई से अधिक बहुमत से यहां आए थे, विपक्ष उस समय बिल्कुल थका-हारा हुआ था और अंधे होकर विपक्ष ने पूरा इसका समर्थन कर दिया लेकिन आज चार साल बाद इसकी खामी हमारे सामने आई है। इसलिये बैठकर निश्चित रूप से विचार करना चाहिये और श्री बंसल जी ने इसको लाकर जो हमें विचार रखने का मौका दिया, उसके लिये मैं आभार प्रकट करता हूं।

श्री हरि सिंह (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय बंसल जी के इस संशोधन विधेयक पर जो चर्चा हो रही है, इसे बहुत ही अनुभव के बाद परमावश्यक महसूस किया गया। यह जो उनका संशोधन है वजह इसके कि मैं इसकी माननीय बारांकी में जाऊं, जो उसका सर्व है, उस पर आता हूं और वह यह है कि बदलाव, जिस पार्टी से चुनकर आये हैं उनके तो प्रतिनिधि बने रहें और उनकी विरोधी पार्टी को हर काम में शामिल हों, उसे परमावश्यक से रेजिस्ट्रेशन पास करें, एक्सेक्यूटिव केस्टो पास करें, डिक्लेशन में हिस्सा लें, पार्टी को नाराज न बनाएं, उनके पक्ष में आवाज देने फिरे, उनकी यूनिट बनाएं, घोषणाएं करें और यह सारे पार्टी विरुद्ध जो काम हो सकते हैं, वह करते रहें, फिर भी वह करते रहे फिर भी उस पार्टी में बने रहें। महोदय, हैल्दी डेमोक्रेसी के लिये स्टेबल पार्टी सिस्टम होना बहुत आवश्यक है और प्रजातंत्र में पार्टी सिस्टम की जो सरकार चलती है उसका मूल आधार नैतिकता होती है। मानवीय मूल्यों और अनुशासन में बंधे रहने के आधार पर ही पार्टी सिस्टम की सरकार चलाई जाती है। इसलिये नैतिकता का यह तकाजा हो जाता है कि जिस पार्टी से हम चुनकर आएँ उसके खिलाफ रिजोल्यूशन पास करें, उस सरकार को कंडेम करें तो नैतिकता का तकाजा है कि ऐसे सदस्यों को स्वयं ही इस्तीफा दे देना चाहिये और पार्टी छोड़ देनी चाहिये। जसाकि मैंने कहा जब तक स्टेबल पार्टी सिस्टम नहीं

[श्री सत्य प्रकाश मालवीय]

होगी तब तक हैल्दी सरकार भी नहीं चल सकती है। यही इस बिल का मूल मर्म है। लेकिन आज क्या हो रहा है। मैं किसी विरोधी पक्ष के बारे में नहीं कह रहा हूँ कि "आया राम गया राम।" मैं उस स्थानी को नहीं दोहराना चाहता हूँ। लेकिन प्रजातंत्र को इस "आये राम गये राम" से बड़ा खतरा पैदा हो गया था। उसके तहत एक सुपर पावर क्रिएट की गयी सरकार बनाने के लिए। सरकार की जो शक्ति निर्माण करने का लिये विकास के काम के लिये और जन हित के कार्यों में लगानी चाहिये वह आपने सदस्यगणों को काबू में रखने में चली जाती है। तो यह सरकार ने दल बदल का जो कानून बनाया उसमें प्रजातंत्र में मजबूती आई। डेमोक्रेसी हैल्दी बनी और इन्फॉर्मेशन को भी बल मिला। मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत-सी जगह जहाँ आज आपोजिशन की सरकारें हैं अगर वहाँ दलबदल कानून नहीं होता है तो वे बहुत जल्दी धराशायी हो जातीं। इसलिये यह जो दलबदल कानून है इसने स्पष्ट रूप से प्रजातंत्र को मजबूत किया। प्रजातंत्र को विकसित करने में मदद की है। साथ-ही-साथ हमारे देश में चाहे विधायक गण हो चाहे हमारे एम०एल०सी० हों चाहे लोक सभा या राज्य सभा के संघ सदस्य हों उनमें लाबिंग सिस्टम कर के एक सुपर मिनिस्टर सुपर प्राइम मिनिस्टर या सुपर सरकार बनाने की जो ललक रहती थी उस पर रोक लगी। यह डिफेंशन कानून की सबसे बड़ी देन है। लेकिन आज अमल में देखने में यह आया है कि इसमें एक कमी रह गयी क्योंकि कोई भी कानून अपने में डिफेंस के लिये कम्प्लिट नहीं हो सकता। डिफेंस दो ही चीजें हैं जो अपने में कम्प्लिट हैं। एक तो जो डेड है मर चुका है। उसका कुछ नहीं किया जा सकता और दूसरे जो अन-बॉर्ड है यानि कि पैदा ही नहीं हुआ है। ये दो चीजें निर्दोष हैं जिनमें न संशोधन की जरूरत पड़ती है न मरम्मत की जरूरत पड़ती है न कोई विचार करने की जरूरत

पड़ती है क्योंकि वे कोई गलती नहीं कर सकते। लेकिन जिन्दा कानून को समय के साथ आवश्यकताओं के साथ बदलना जरूर पड़ता है और बदलना भी चाहिये। कोई भी कानून कोई भी संविधान स्टैटिक नहीं हो सकता। इसलिये हमारे भारतीय संविधान में भी एक एक नहीं बहुत से संशोधन हुए हैं क्योंकि जनता की एस्पिरेशंस थी डिमांड थी। जो स्वाहिष थी उसके मुताबिक संविधान में संशोधन करने पड़े हैं लेकिन यह जो दल बदल कानून था उसमें एक बृनिषादी कमी रह गयी। हमारे जो नुमाइन्दे चुनकर आते हैं जब वे किसी और पार्टी में भीटींग में हिस्सा लेंगे पार्टिसिपेट करेंगे और अपनी पार्टी को कंडेम करेंगे तो वे अपने आप इस्तीफा दे देंगे। लेकिन वे इस्तीफा इसलिए नहीं देना चाहते क्योंकि उनकी मेंबर्शप खत्म हो जायेगी। महोदय हमारे जो कानून बनाने वाले थे उन्होंने तो इस बात का ध्यान रखा था कि हमारे सदस्य नैतिकता को सर्वोपरि मानते हैं। लेकिन तजबों से ऐसा मालूम हुआ अनुभव यह हुआ कि इस कानून की जितनी अवहेलना की गयी है उतनी शायद किसी और कानून की नहीं हुई है।

आज कांग्रेस पार्टी में बने हुए हैं, हम उनका नाम लेना चाहते हैं, लेकिन दूसरी पार्टी के सर्वोसर्वा वे मालिक हैं। कांग्रेस को गाली देते हैं और उनसे पूछो कि आप किस पार्टी में हैं, तो वे कहते हैं कि हम कांग्रेस पार्टी में हैं। तो यह तो डिस्क्वैसी है, यह जो कंट्राडिक्शन है, वह नैतिकता से दूर होने वाला नहीं है। पवन कुमार जी को मैं वधाई देना चाहता हूँ कि अब नैतिकता के सहारे यह कानून नहीं चलने वाला था, उन्होंने बड़ा एक चेतना हमको दे दी और मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार इस सेशन में नहीं, तो अगले सेशन में इस संशोधन को लाये। इससे इस सरकार को और प्रजान्तर को बड़ी शक्ति अथवा बहुत बल मिलेगा। अगर यह नहीं किया जाता है, तो आप देखिए कि बहुत सारी

खराबियां पैदा हो जायेंगी। तो जैसा कि मैंने कहा कि यह बिल जो है, बड़ा सामयिक है और इसकी आवश्यकता भी है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण मौजूद हैं कि जो पार्टी छोड़कर चले गये, फिर दूसरी पार्टी में चले गये, फिर तीसरी में चले गये फिर चौथी में चले गये। इससे पब्लिक में जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारे नुमाइंदे होते हैं, उनका भी मजाक और मखौल बनता है। उनको भी लगता है कि यह रोज बदलते रहते हैं।

पिछले जमाने में यह भी होता था कि हर मੈम्बर अपनी सदस्यता की कीमत चुका लेता था। वह धोखे-भट्टी देकर के अपना काम करा लेता था और सरकार को मजबूर होना पड़ता था। तो जैसा कि मैंने कहा कि प्रजातन्त्र में और पार्टी-तन्त्र में नैतिकता ही बड़ी चीज है, जिसके सहारे, कन्वेंशन के सहारे, कस्टम के सहारे सरकार चलती है। तो यह भी जो डिफे-क्शन बिल में जो कमी रह गयी थी, इसकी तरफ पवन कुमार जी ने बड़ा अच्छा इशारा किया और मैं उनके बिल का समर्थन तो करता ही हूँ और हमारे भारद्वाज जी भी बैठे हुए हैं, जो लो के बहुत पुराने और अनुभवी आदर्मी हैं।

### [उपसभाध्यक्ष (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) पीटासीन हुए]

वह समझ गये होंगे और डेमोक्रेसी में तो नियम रोज बदलने की जरूरत पड़ती है। लोग कहते हैं कि रोज कानून बनाते हैं, रोज बदलते हैं। क्योंकि अदमी का स्वभाव और आवश्यकता जो है, यह भी बदलती रहती है, समय के अनुसार वक्त के अनुसार, मांग के अनुसार और यही नहीं कभी-कभी सरकारों को पब्लिक भी मजबूर करती है कि ऐसे कानून बनाइये और नियम बनाइए।

इसलिये मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इसके लिये सरकार को एक कानून लाना चाहिये। यदि अब नहीं तो मानसून सेशन में लायें और

यह जो इस कानून में कमी रह गयी है कमजोरी रह गयी है, जिसके कारण बहुत सारे लोग अभी भी कांग्रेस में बने हुए हैं, गाली भी दे रहे हैं, प्रचार भी कर रहे हैं। कांग्रेस का बहाना लेकर के दूसरी पार्टी को तोड़-फोड़ कर करने की बात भी करते रहते हैं, कांसिप्रेसी रखते रहते हैं, उसमें घुसकर के तरह-तरह के नाम लिख देंगे कि कांग्रेस के एक कार्यकर्ता, एक संसद सदस्य, और पम्पलेट बांट देंगे और हलचल मच जाती है, पार्टी में कि कांग्रेस के किसी एम०पी० ने एक बड़ा नोटिस दे दिया है, यह खबर छप जाती है, जब सनसनी-खेज और पता चला कि वह साहब कौन हैं? ऐसे साहब हैं कि जो दूसरी पार्टी में काम कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी में बने हुए हैं।

तो यह जो कमी रह गई है, इस कानून को सरकार को अपने यहाँ लाना चाहिये और मैं समझता हूँ कि मानसून सेशन में लाकर के इस कमी को दूर करना चाहिये।

PROF. C. LAKSHMANNA (Andhra Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, I consider this particular Constitution amendment Bill is needed for initiating a discussion in the country today. This Constitution amendment Bill is no solution to the problem that has been there. What is happening is, each time we come forward with legislations, we come forward with solutions in a fire-fighting situation. Mr. Pawan Kumar Bansal keeping in mind the particular situation which has developed in his own party has come forward with this amendment Bill. So far so good. I do not have any objection to this attitude of the ruling party. But then we have to examine the whole issue in its entirety and we have to take a stand which will be valid, which can stand the test of time in a longer perspective, not merely for a particular given moment of time.

You are aware, the problem of defection has been reging this country for quite some time. But then each one of

[Prof. C. Lakshmanna]

us belongs to a particular political philosophy having taken a stand against defection or in favour of defection depending upon the circumstances in which it is occurring. If, for instance, a political party leader proposes the name of a particular candidate belonging to his or her own party arising out of a decision taken in a larger body which is the Parliamentary Board of that party and, subsequently, this particular leader himself or herself goes against this very decision in the name of conscience. This even leads to a situation where the official candidate is defeated by a person who is proposed by this great leader. If there had been a law of the nature which Mr. Pawan Kumar Bansal is now proposing, even that great leader who might have taken a decision in the larger interests of his or her party or even of the country might have been disqualified. Therefore, those who are proposing such laws, those who are proposing such Bills, must take all these facts into consideration.

Secondly, if a particular leader of pre-eminence says that he or she is doing a thing in the name of conscience and thus upholds the principle of dissent, uphold the principle of disinclination, upholds the principle of not agreeing with the majority decision which may be, sometimes, in a way, tyrannical, in such cases, have we to accept that as a correct procedure, a correct Parliamentary practice and a correct democratic practice? But if the same thing is done by somebody else, should we consider that as an undemocratic practice and so on? Therefore, a greater fundamental question arises. What is needed today in the society, what is needed today in the country, is the capacity to look at the issue in a proper perspective, with the implications of such actions not only for the time being but also for times to come.

Mr. Vice-Chairman, Sir, in this connection, I would like to invite your attention and, therefore, the attention of the House. When the anti-defection Bill was passed, on the very day, there was a radio discussion in which I had the privilege to participate along with Mr. Bhandare and Mr. Bakshi who was at that time,

I think, Chairman of the Tribunal. I said on that very day that instead of getting elated over what happened on that day, that we have passed the anti-defection law, we should look at the problem dispassionately and examine whether it can stand the test of time or not. I had, on that occasion, referred to three types of situations where the Bill, as it was passed, was likely to prove ineffective. One type of situation has already taken place. Sir, at the time when this anti-defection Bill was passed, when this Bill became a law, the situation was that a political party having gone to the polls on the basis of some wave or the other,—may be, sympathy wave—got a mandate which was massive. But the political party did not, perhaps, have the necessary courage and conviction that the Members of the party would stand by it in times of crises and, therefore, in order to safeguard the interests of the party to remain in power, this Bill was brought. And it was brought in a hurry. They did not give enough time to consider all the possibilities with the result that the types of defects which they were today bringing into it. The anti-defection law of the Constitution (Amendment) Bill which is now proposed as a Private Member's Bill would have to be examined in greater depth and in greater detail. If this is done, I am sure, neither the anti-defection law nor the amending Bill which is proposed today would stand the test of time, would stand the validity of time. This Bill says: "If he participates in a meeting convened by any other political party to make a common cause with that party opposing the political party to which he belongs..." Sir, there is no qualification as to what type of meeting this is. Suppose the Prime Minister or the leader of the House convenes a meeting of all opposition parties.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA): Is the meeting summoned by the Prime Minister or as party president? There will be a difference.

PROF. C. LAKSHMANNA: What is the difference? I will take a stand that it is convened by a leader of the party who is opposed to it. Then again it has

to be decided in a court of law and we do not know what decision will be given. He may be the Prime Minister. (*Interruptions*). I was coming to it. Suppose the President of the Congress Party convenes a meeting. Suppose there is a problem and the Prime Minister convenes a meeting. The leaders of the parties in the House may not be the leaders of all the political parties. Therefore, it may be necessary sometimes for the President of the political party to convene a meeting of those who are opposed to that political party to discuss a particular issue. In that meeting the party may have to change the stand, in which case this will amount to a disqualification. It might be possible, the Prime Minister who is also the Congress President may call the meeting of somebody who is not the leader of the House. He may be the member but not the party president. And if he takes a decision, there may be some problem. Therefore, there is no point in rushing through a legislation of this nature which can have any type of implications. After all, whenever a particular law is passed, it has to be interpreted in different ways. Therefore, I am not very sure whether this particular amendment will stand the scrutiny of law. I am not a lawyer, I must admit that but then I had an occasion to mention what the defects in the Anti-defection Law could be. Therefore, I do not think this is a very valid proposition. As I was mentioning earlier, what is important is a certain amount of attitude on the part of political parties with regard to this problem of defection, of dissent, of protest, of not agreeing with the majority decision of the people in the party. I think we will have to look at the entire issue in that larger perspective. If that is done, perhaps things could be understood in a different way. Otherwise, what is happening? Suppose, 19 members of a particular party in a particular Legislature show disagreement, they write a letter to the Governor. Governor is the one who upholds the law of the country. The law of the country is, if some people disagree with the party to which they belong, and if they are not one-third in number, automatically they attract the provisions of the anti-defection law. But that particular Governor,

instead of advising the members that they are likely attract the attention of the law of the country, accepts their letter as a *de facto* or *de jure* statement and on the basis of that statement acts. So, a situation is created where people are not really committed to the values of democracy and these are the problems which have arisen in a particular State. Therefore, there has to be a political education in this country. That political education is, what is the steadfastness with which individuals, groups and parties have to stand for certain values and value-based politics? So long as that is not there and value based politics also could be utilised only for strengthening the partisan views of the parties to which the individuals belong, then I am sure there will not be any solution of the problem of defection in this country. Sir, if the forums in which such dissension/protest can be voiced are stifled, what is the way out left for those people to express or not to express but to kill for ever their democratic conscience. When I am saying this, I am aware that no other political party in this country has been the victim of defection more than the political party to which I belong. Encouraged, abetted, augmented, supported and strengthened by the ruling party at the centre, there was a defection in our party, but which was not sufficient in number. When such people defected, even without verifying, there was an occasion when the legally, democratically elected Government was removed. I ask a simple question to Mr. Bansal and his party: what happened to the spirit of this particular Bill which is now before the House? Perhaps this spirit was there, but you submerged that spirit in a situation of elation that a government which is opposed to the ideologies, a government which is opposed to the policies, a government which was having the support of the people, a government which was having a massive mandate of the people was being overthrown, was being driven under the carpet. Therefore, that was the situation for that particular political party to feel elated. Therefore, the spirit and nature of this Bill did not strike them. So I would like to once again reiterate that what is needed is not a Bill. What is needed is not a law. It

[Prof. C. Lakshmanna]

has been abundantly clear that laws can only create conditions wherein the change can be brought about, provided there is a will on the part of the people to operate those laws, if they have got that will to do it. If that is not there, this will not solve the problem. Therefore we have to have today in this country a massive education programme, starting with the party at the Centre. I think they must be the ones who should be subjected to these lessons. Then all others who have been the victims or who have been abetting all such nefarious activities of such defections, of such valueless politics and of such actions which have been eroding the political fabric of this country, should be so done. If that is done, then the whole question will become clear. Therefore, all the political parties must sit together to accept the basic values and principles on which the politics of this country has to be run.

In this connection, I fully agree with what you said earlier. You had made a mention that what is needed is a code of conduct for the political parties, a code of conduct which is consciously arrived at out of deliberations, with understanding and which has to be observed in all its importance, with all its strictness. If that is done, there may not be any occasion for bringing Bills of this nature, so that it is not there for the convenience of time, as it happened in Nagaland, Mizoram, Sikkim, Jammu and Kashmir, Andhra Pradesh and finally as it happened in Karnataka.

**THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA):** And who knows what next?

**PROF. C. LAKSHMANNA:** I do not believe in political astrology, but I do not even want to think about it. But the responsibility in most of these cases rests squarely with the political party at the Centre and the political party which has been ruling many States in this country. Their number is getting reduced gradually and a time will come when, perhaps, they will not be there. Still it should be a politico-astrological predic-

tion which I do not want to indulge in. Therefore, so long as that party is in power at the Centre, so long as that party is in power in important States in the country, the responsibility devolves more upon that particular party to be exemplary, to show by example to others that they do not mean defections, that they do not mean dissensions, that they do not mean political treachery, that they do not mean skullduggery. Then all over political parties will have a moral right to follow it. But so long as that political party has been at the root of nefarious activities, more often than not, on many occasions, such a political party has no right to preach what is being attempted by my friend, Mr. Bansal. Therefore, I would like to take this opportunity to appeal to the Congress (I) Party—which is not willing to drop the “(I)” in spite of court decisions so that it could be the National Congress Party—to come forward with such proposals which will create confidence in the political parties in the country, big and small. If they do not come forward, I think others will have to take the lead, and they will take the lead and show to the world that value-based politics alone is the saviour for this country and not time-serving systems, time-serving devices, time serving laws and time-serving Bills. And, therefore, I oppose the Bill which was moved by Shri Pawan Kumar Bansal. While I appreciate the spirit behind it, I am opposing it because it will not serve any purpose. It will not stand the test of legal pundits, it will not stand the test of time. Therefore, what is important is to create laws which stand test of time, which will prove to be effective not merely at the given moment of time but at all times to come. Therefore, there has to be an effort made in this great Parliament, in this august Parliament, to think of such laws and, in that particular view, I appeal to Mr. Bansal and to the leaders of Union Government to really initiate a dialogue, initiate a discussion, initiate a debate on the floor of the House, outside the House and in the country as a whole, that the urgent need today is for value-based politics both in word and spirit. I am not interested in value-based politics only word or only in spirit. I want value-based politics in

both word and spirit. In word because word is binding legally, in spirit because that alone can create conditions of working such words.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA): And also in deeds.

PROF. C. LAKSHMANNA: And in deeds. Once it is in word and spirit, automatically, I feel, it will follow in deeds. Therefore, there has to be unity of these three things—word, spirit and deed—and if this process is initiated, I think, all the political parties in the country should become partners in such deliberations, in such discussions. Until such time, there is no point in having either a defective anti-defection law as it is existing or measures which will make it more defective, more unworkable, as the present amendment is intending to.

Thank you, Sir.

उपसभाध्यक्ष (श्री सत्य प्रकाश मालवीय): श्री ए० ए० एस० अहलुवालिया।

श्री राम चन्द्र विकल : मेरा नाम था। मुझे जाना है एक जगह।

उपसभाध्यक्ष श्री सत्य प्रकाश मालवीय): अहलुवालिया जी जाना चाहते थे।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : मैंने पटना के लिये जहाज पकड़ना था।

श्री राम चन्द्र विकल : मुझे भी एक जगह जाना है। मैं बहुत कम बोलूंगा। आपको कौन सा जहाज पकड़ना है?

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : पटना का।

एक माननीय सदस्य : कितना लेट है?

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : एक घंटे लेट चल रहा है।

श्री राम चन्द्र विकल : मुझे भी एक जगह जल्दी जाना है, वरना मैं कभी आग्रह नहीं करता।

उपसभाध्यक्ष (श्री सत्य प्रकाश मालवीय): वे पहले आग्रह कर चुके थे, इसलिये...

श्री राम चन्द्र विकल : मैं रुका इसीलिये। श्री हरी सिंह जी से भी मैंने कहा था कि मुझे बोलना दिया जाये।

उपसभाध्यक्ष (श्री सत्य प्रकाश मालवीय): श्री राम चन्द्र विकल।

श्री राम चन्द्र विकल : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार मानता हूँ कि मुझे थोड़ा सा समय इस संविधान संशोधन पर जो बांसल जी ने रखा है आपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। बांसल जी का मैं आभार मानता हूँ कि उन्होंने एक संविधान संशोधन इस समय उस परिस्थिति में लाया जब दलबद्धता के वातन का कुछ दुरुपयोग नभर आया है तो उन्होंने आवश्यक समझा और इस संशोधन को प्रस्तुत किया। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपका दोबारा आभार मानता हूँ कि जो आपने अपने विचार व्यक्त किये वह बहुत संतुलित और सामयिक तथा आवश्यक भी थे। कुछ तथ्य और तर्क जो हमारे देश की राजनीति में 1952 ले कर अब तक के हैं वह आपने महत्वपूर्ण तर्क और तथ्य सामने रखे। इसलिए मैं आपका आभार मानता हूँ। दूसरे वेई स्वातंत्र्य अभी हमारे सामने लक्ष्मन्ना, जी, हरिसिंह जी ने भी स्वातंत्र्य उठाये हैं उनका सम्बन्ध इस संविधान संशोधन की परम्पराओं से है। परम्पराओं, मान्यताओं तथा आत्मा की आवाज की चर्चा तो की ही गई है साथ ही साथ जनतन्त्र और राजनीति तथा आचारसंहिता आदि विभिन्न मुद्दों पर इस थोड़े से समय में थोड़े से लोगों ने चर्चा की है। मैं भी थोड़ी सी चर्चा इस विषय में आपसे करना चाहूंगा। सब से पहले मैं आत्मा की आवाज को लेना चाहता हूँ जिसकी आपने भी चर्चा करते समय उदाहरण दिया था। यह सच है कि आत्मा की आवाज एक रिस्क है राजनीति में जो भी ले ले कोई पाबन्दी नहीं है और आत्मा की आवाज आत्मा की ही आवाज हो यह देखना भी आवश्यक है। किस कहते हैं आत्मा की आवाज? जिससे दूसरे लोग



[श्री रामचन्द्र विकल]

भावित हो जाएं और उस आत्मा की आवाज में मिल जाएं तो वह सफल आत्मा की आवाज कहलाती है। जैत इन्दिरा जी ने एक मानला उठाया और सफल हो गई। तो वह आत्मा की आवाज सही साबित हुई। अगर आत्मा की आवाज में लोग साथ नहीं देते हैं तो वह फेल हो जाती है। आत्मा की जो आवाज दूसरों को प्रभावित कर के अपनी भावनाओं के साथ जोड़ दे तो वह आत्मा की आवाज है। अगर वह असफल हो जाए तो शायद वह ध्रुवी रहेगी। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा मानता हूँ। एक छोटा सा रिस्क आत्मा की आवाज का मैंने भी लिया था सन् 1962 में जब चीन के युद्ध के समय तत्कालीन मुख्य मन्त्री ने उत्तर प्रदेश में किसानों पर लगान बढ़ा दिया। मैंने पहले तो पार्टी में इसका विरोध किया और पार्टी को अपने हक में कर लिया। पार्टी में यह कह दिया गया कि नहीं लगेगा। मैंने यह कहा कि यह युद्ध के नाम से लगान लिया जा रहा है जबकि इसका युद्ध से कोई सम्बन्ध नहीं है इस समय मैं उन चर्चा में नहीं जाना चाहता हूँ। उपसभाध्यक्ष महोदय आप तो उत्तर प्रदेश की राजनीतिक परम्पराओं से वाकिफ हैं, जानते ही होंगे। लाल बहादुर शास्त्री जी ने मुझ से कहा विकल साहब पार्टी में पहले इस सवाल को वाकिफ ले चुके हैं इज्जत रहे गई है इसलिए इसे चुप बैठे रहना चाहिए क्योंकि सभी विरोधी दल चाहे पी० एस० पी० हो, जनसंघ हो, स्वतन्त्र पार्टी हो सभी विरोधी दल किसान पर लगान का समर्थन कर रहे हैं इसलिए आपको इस पर खामोश बैठ जाना चाहिए। शास्त्री जी अब इस दुनिया में नहीं हैं, मैंने उनसे कहा कि किसान के सवाल पर मैं अकेला भी लड़ूंगा क्योंकि यह एक राष्ट्रीय सवाल है मेरा व्यक्तिगत सवाल भी है मेरा व्यक्तिगत जीवन में इसी से जुड़ा हुआ है। मैंने पार्टी में यह कहा तो पार्टी मेरे खिलाफ हो गई। विरोधी पार्टियों ने समर्थन किया हाऊस में उन दिनों कम्युनिस्ट पार्टी के नेता जेड० ए० अहमद थे, पी० एस० पी० के गेंदा सिंह थे, स्वतन्त्र पार्टी के राजेन्द्र प्रसाद थे तथा जनसंघ के नेता और रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं ने सभी विरोधी

पार्टियों ने समर्थन कर दिया पहले तो मदन मोहन वर्मा जी अध्यक्ष से तय हुआ कि इनको बोलने ही मत दो तो ज्यादा अच्छा है। सात दिन बिना लंच के दिन भर मैं खड़ा रहा, ऐसी गति आ गई कि बी० बी० सारन को लाबी से बुला लिया गया। आखिर में क्या हुआ, मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि आखिरी दिन जब वोटिंग होने वाली थी तो मैंने कह दिया अध्यक्ष मदन मोहन वर्मा जी ने आपने मुझे इस सवाल पर बोलने नहीं दिया, मैं रोज आता था, जाता था, आपकी तरफ मेरे पर नहीं जाती है, आपने बी० बी० सारन को बुलाया। मैंने कहा कि मैं जरूर बोलूंगा, आप मार्शल वार्शल को बुलाना हो तो बुला लेना। इस पर मदन मोहन वर्मा जी घबरा गये। उन्होंने सी० बी० गुप्ता से कहा कि ऐसा नहीं कि अपनी पार्टी के आदमी को सदन से निकालना पड़े तो जरा यह ठीक नहीं होगा। गुप्ताजी मुझ से मिले तो उन्होंने कहा कि ज्यादा गुस्से में मत बोलना, कुछ हल्का सा बोल लेता।

4 P.M.

मैं बोला जी मैं तो नहीं बोलूंगा, तुम इसे विदज्ञ कर लो। कहने लगे कि यह रक्षा कोष में जायेगा। मैंने कहा कि रक्षा कोष के लिए पब्लिक से दिलवांदा। बाद में बोले तुम दोपहर बाद बोल लेना। खैर मैं उस पर बोला। ऐसे मैनीपुलेशन किया कि जेड० ए० अहमद के बाद मेरी तस्वीर बर्राई, कम्युनिस्ट लीडर जो किसान पर लगान का समर्थन कर सक्ता है तो उसके बाद यह क्या बोलते हैं। उनका समर्थन मैंने सुना। जब मैं खड़ा हुआ तो मैंने कहा कि मुख्य मंत्री जी आप भी और आपको सरकार से कहना चाहता हूँ कि जो लगान का समर्थन जेड० ए० अहमद साहब कम्युनिस्ट लीडर ने किया है वह ऐसा ही है कि जैसे हठीली औरत को किसी ने मारवा दिया था गंगा जी में वह कहानी मैंने सुनवाई रिआर्ड पर कि कोई हठीली और पति के खिलाफ बात करती थी। वह तंग आ गया तो उसने सोचा कि इसका पत्ता ही कटवा दूँ। वह कहने लगे भागवान, लड़की की शादी करनी है गंगा में स्नान करोगी। उसने कहा मैं गंगा में जरूर नहाऊंगी। उसने कहा, अच्छा गंगा नहा आओ

लेकिन चक्की-चक्की मत ले जाना औरत ने कहा कि चक्की तो मैं जरूर ले जाऊंगी। वह बोला, अगर ले जाओ तो उसका पाट-बाट बांध करके मत नहाना। औरत ने कहा वही बांध करके नहाऊंगी। उसने कहा अच्छा, नहायेगी तो गंगा के किनारे नहा लेना, अन्दर मत नहाना। वहने लगी कि अंदर ही नहाऊंगी और इस तरह उसको मरवा दिया। कम्युनिस्टों के इस समर्थन को इसी तरह समझ लो। यह मैंने उदाहरण दिया खैर, जैड०ए००० इमद बेचारे हैं, मुझे मिले। कहने लगे नेहरू जी ने मेरी तबरीर नहीं काटी, लेकिन तुमने मेरी तबरीर काट दी। लेकिन मुझे भी जैड०ए००० इमद पर यह यकीन नहीं था कि एक कम्युनिस्ट लीडर होकर वह किसान पर लगान का समर्थन करेंगे। खैर, वह गहानी खत्म हुई, मैंने विरोध में आवाज उठाई और वोट भी खिलाफ ही दिया अकेले ने और मुझे मुअत्तल कर दिया कामराज योजना में गुप्ता जी चले गए, सुचेता जी कृपलानी आ गए किसी ने सुचेता जी से कह दिया विकल साहब जी की वजह से इसकी चीफ मिनिस्ट्री चली गई जिसका कोई वास्ता ही नहीं न मैंने किसी को कहा और न कामराज योजना मेरी लगवाई हुई थी। कभी-कभी मिलने का इत्तफाक हो जाता। पता नहीं किसने यह बात दिल में बैठा दी मुझे यहां 29 नंबर केनिंग लेन में आचार्य कृपलानी एम० पी० थे कलेक्टर, बुलंदशहर और एस० पी० से ढुंढवाकर बुलवाया और कहा गया कि मैंने पार्टी में तुम्हें बहल कर दिया। लेकिन मैंने कहा कि मैं तो बहल नहीं होता। उन्होंने कहा कि क्यों? मैंने कहा कि पहले किसान का लगान मुअत्तल करो फिर बहल होगा। हाउस के पहले ही दिन लगान वापस कर दिया गया। तब आपोजिशन पार्टीयां पछनाई कि यह तो विकल साहब तब भी होरो बन गए और अब यह वापस भी करवा दिया। मैंने गुप्ता जी को एक और बात कही थी, यादवेंद्र दुबे जनसंघ के लीडर हाउस में समर्थन कर रहे हैं और बाहर जनसंघ का सत्याग्रह चल रहा था और ढाई करोड़ जनसंघ के लोग जेलों में, अब क्या समझाऊं। आत्मा की आवाज एक रिस्क है जो ले ले और जिसकी आत्मा की आवाज में बल होता उसके साथ लोग हो जाते हैं। इस प्रकार लगान वापस हुआ विरोधी दलों के हाउस में समर्थन के बावजूद, लगान लग गया था

लेकिन वसूल नहीं हुआ। मैं दूर-दूर की चर्चा करूंगा जो दल बदल की आपने चर्चा की, मैं सारे आपके उदाहरण मानने को तैयार हूं जो-जो आपने दिए लेकिन एक उदाहरण आप भूल गए जिसे याद दिलाना चाहता हूं वह चौधरी चरण सिंह जी का है। एक अप्रैल, 1967 को मैं ही उनको लाया था, एक तो लीडर आपोजिशन था, मैं चाहता तो उस दिन चीफ मिनिस्टर बन जाता। पहले भी नाम गया जब चौधरी साहब ने इस्तीफा दिया तभी मेरा नाम गया और जब असंबली डिजाल्व हुई तब भी मेरा ही नाम था। जब तो मेरा ऐसा नाम था गेंदा सिंह, बनारसी दास और ठाकुर फूल सिंह हमारी एस० वी० डी० की मीटिंग में शरीक होकर यह कह कर आये कि मिडटर्म पोल न हा भले ही इनको बनाया जाए। कांग्रेस के लोग भी समर्थन दे कर आए लेकिन तब भी मिड-टर्म पोल 1969 का हो गया। मैं यह कह रहा था कि चौधरी साहब के 17 आदमी पहले अप्रैल 1967 को कांग्रेस पार्टी के मैमिफेस्टो पर चुनकर गए थे और चीफ मिनिस्टर भी बन गए लेकिन इस्तीफा उन्होंने भी नहीं दिया। यह उदाहरण आप भूल गए थे इस लिये मैंने आपको याद दिला दिया ये परंपराएं कुछ ऐसी पड़ रहीं हैं कि जब जिसको मौका लगे वैसे ही कर लेते हैं।

श्री ईश दत्त यादव (उत्तर प्रदेश): लेकिन आपने भी उनको लीडर माना था। ...  
(व्यवधान)

श्री राम चन्द्र विकल : मैं चुनकर गया था और मैं किसी पार्टी को छोड़कर अभी नहीं आया। जब भी आया, इस्तीफा देकर ही आया हूं। चुनकर गया हूं और मैंने पार्टी कभी नहीं छोड़ी। यह तो मालवीय जी भी जानते हैं लेकिन आप तो उन दिनों बच्चे थे। इसलिए ये बातें इधर-उधर होती रहती हैं। उस सभाध्यक्ष महोदय, यह भी बात सही है और मैं सहमत हूं कि आप हमारी गलती वह रहे हो और हम तुम्हारी गलती कह रहे हैं? 9 राज्य तुमने तोड़े और फिर हमने तोड़ दिए। तुमने क्या किया और हमने क्या किया, गलती का जवाब गलती से देना ठीक नहीं है, यह मेरी व्यक्तिगत मान्यता है। मैंने रूस में भी इस बात को कहा था। जब मुझे से गांधी जी के बारे में पूछा गया कि उनकी कोई विशेष बात बताओ तो मैं बोला कि विशेष बात तो हरेक थी।

[श्री ईश दत्त यादव]

तब जोर देकर वहाँ कि एक बात गांधी जी की बातों। मैंने कहा एक बात गांधी जी की पूछनी है तो एक मेरी निगाह में है कि वह अपनी भूल को सार्वजनिक रूप से मानते थे। आज दुनिया के धर्मगुरु, राजनेता अपनी गलतियों को सार्वजनिक रूप से मानते लगे तो एटम-बम रखे रहे जायेंगे, विश्व में शांति हो जाएगी और दुनिया में झगड़े होंगे ही नहीं। हम आपको गलती को लेकर लड़ रहे हैं, और आप हमारी गलती को लेकर लड़ रहे हो। हम और आप बराबर हैं। खैर, मैं इस पर ज्यादा नहीं कहना चाहता क्योंकि मुझे जल्दी है।

उप सभाध्यक्ष महोदय, आपको एक बात और कहूँगा। इसको मैं अपनी और से कह रहा हूँ, सदन माने या न माने — राजनीति और नैतिकता का कोई मेल नहीं खाता। हमारे यहां चाणक्य सबसे बड़े राजनीतिज्ञ रहे हैं, भारत में तो रहे हैं, शायद दुनिया में भी रहे हों। उन्होंने साम, दाम, दंड भेद कहा है। आप भी इसको जानते होंगे। अब जब साम-दाम-दंड-भेद में क्या नैतिकता रह जाती है? मैं अपने मन की बात कह रहा हूँ, किसी पर लागू नहीं करना चाहता, न सदन पर, न सरकारों पर, न किसी और पर। लेकिन साम-दाम-दंड-भेद जब चाणक्य कहते हैं तो नैतिकता से उसका कोई मेल खाता है क्या दोनों की परिभाषा में अलग-अलग फर्क होगा और करने वाले का फर्क भी हो जाय तब तो और भी फर्क हो सकता है। महा-भारत के वक्त में भी युद्धिष्ठिर ने ऐसा कहा था। सच्चाई में तो राजनीति और नैतिकता व्याख्या में अच्छी लगती है पर अमल में कठिन काम है। अगर कोई कर सके तो अच्छा है। मैं इसमें अधिक नहीं जाना चाहता।

उप सभाध्यक्ष जी, दो-तीन बातें आपसे कहना चाहता हूँ इस विधेयक के संबंध में। मैंने जिस बात को कभी आपोजीशन की है प्रियत से कहा है या गवर्नमेंट की है प्रियत से कहा है और वह बात सही है तो हर वक्त, हर समय और हर तरफ से बोलता रहा हूँ। मेरी एक मान्यता रही है कि निवर्तमान चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधान मंत्री हो, उसको असंबली या लोक सभा को भंग कराने का अधिकार नहीं होना चाहिए। ऐसी मेरी मान्यता है

क्योंकि डेमोक्रेसी में चुनाव महंगे हैं, बहुत पैसे लगते हैं, खर्चा बड़ा होता है, कटुता बढ़ती है। इसलिए लार्जस्ट सिंगल पार्टी को या मिलीजुली पार्टी को गवर्नमेंट बनाने का अवसर मिलना ही चाहिए। यह मान्यता मेरी शुरू से ही है और आज भी इस राय का हूँ कि एक मौका सबसे बड़ी पार्टी को मिलना चाहिए। हाँ, अगर हाउस में फेज हो जाय, मैजोरिटी न दिखा सके तो दूसरी बात है, जैसे चौधरी साहब को दिखाना पड़ा, हाउस में मैजोरिटी नहीं आई तो वह प्राइम-मिनिस्टर नहीं रहे। लेकिन मौका देना चाहिए चाहे संयुक्त दल हो या लार्जस्ट सिंगल पार्टी हो।

मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि गवर्नर को शक्ति परीक्षण का अधिकार गवर्नर-हाउस में नहीं देना चाहिए, यह अधिकार तो सदन का ही रहना चाहिए, अगर डेमोक्रेसी को जीवित रखना है तो, इससे ऐसी बात हो सकती है, जिससे विद्वेष होता है, पक्षपात हो सकता है, उनके आचरण पर संदेह हो सकता है। तो यह अधिकार सदन को ही रहना चाहिए, गवर्नर हाउस में गवर्नर को नहीं। इस तरह की परंपराएँ संविधान में लानी चाहिए।

मान्यवर, मैं दो-चार बातें और कहता, लेकिन मुझे जल्दी में जाना है। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ कि डेमोक्रेसी को जीवित रखना है तो यह पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है कि हम एक-दूसरे की गलती को लेकर न उझालते रहे बल्कि एक-दूसरे की अच्छाइयों को भी देखें। सरकार की जो अच्छाइयाँ हैं, उसे विपक्ष को मान लेना चाहिए और विपक्ष की अच्छी बातों को सरकार को मान लेना चाहिए। जितना सजग, संवधान, संशक्त हो तो जो अपने नुमाइंदों से सवाल पूछ सकती हो। सदन की गरिमा, परंपराएँ क्या हों, यह बात मान्यवर, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, आप सजुबेकार हैं। यह सदनों से अबबारों से, रेडियों से, पत्रकारों से, जनता से, पार्टियों से डेमोक्रेसी अनेक-अनेक चीजों से जीवित रह सकती है। यूथ-पार्लियामेंट के द्वारा बच्चों को डेमोक्रेसी की ट्रेनिंग देने से तो डेमोक्रेसी और सफल हो सकती है। यह एक ऐसी व्यापक चीज है, जिससे अच्छा राजतंत्र

कहीं दुनिया में नहीं है। भारत में डेमोक्रेसी जीवित है, उसे बचाना है। पड़ोसी देशों, पाकिस्तान में तो दस-ग्यारह साल बाद आई, कई दूसरे देशों में तो समाप्त हो गई है। डेमोक्रेसी को भारत में मजबूत करना है, जिससे दुनिया के लोग वहाँ से उदाहरण ले सके। भारत को अनेक परंपराओं से, दुनिया के लोग, चाहे योग हो, चाहे धर्म-निरपेक्षता हो, चाहे विश्व शांति हो, चाहे धर्म के दस लक्षण हों—ग्रहिया, सत्ता... आदि इनसे बहुत प्रभावित हैं और वहाँ हमारी डेमोक्रेसी से भी लोग प्रभावित होते रहे, ऐसी परंपरा हम इस सदन के द्वारा दूसरे सदनों के द्वारा डाल सके।

इस संदर्भ में मैं बंसल जी का आभार मानता हूँ और उनके संविधान संशोधन का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद।

**श्री ईश दत्त यादव :** माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे इस विधेयक पर अपने विचार रखने का अवसर दिया।

श्री पवन कुमार बंसल जी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है, इससे दो दृष्टिकोण से मेरी सहमति नहीं हो सकती। एक तो जो उन्होंने संशोधन प्रस्तुत किया है, वह व्यावहारिक प्रतीत नहीं होता है। दूसरे मुझे इसका अर्थ भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है क्योंकि इसमें विरोधाभास है। इस सम्बन्ध में अपने विचार मैं रखूंगा। लेकिन मैं श्री पवन कुमार बंसल जी से और इनकी पार्टी के लोगों से यह कहना चाहूंगा कि इस तरह के कानून से दलबदल नहीं रुक सकता है। यह बात माननीय उपसभाध्यक्ष जी, आपने भी कहीं जब आप अपने विचार प्रकट कर रहे थे। सहोदय, इसका संबंध तो अखिल और प्रबल इच्छा शक्ति से होता है। सहोदय, मैं एक बात और कहूंगा कि आज तक जबकि यह दलबदल कानून पास हुआ है, इसके पहले और इसके बाद भी अगर कहीं दलबदल का प्रत्याहार मिला है, दलबदल का इनाम मिला है तो आपकी पार्टी से मिला है, सत्ता पक्ष की पार्टी कांग्रेस से मिला है। जब यह कानून नहीं बना था तब तो आप रात-दिन यहाँ करते थे। इस सदन के एक माननीय सदस्य हैं, इत्तफाक से केन्द्रीय मंत्री भी हैं

वे जनता पार्टी से मुख्यमंत्री चुने गए थे और रातों-रात अपने साथ पूरी सरकार लेकर चले गये और सीना तानकर चलते हैं। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता। स्वर्गीय चौधरी चरणसिंह ने बहुत से लोगों को राज्य सभा / लोकसभा में भेजा, उसमें से बहुत से लोग आपके दल में चले गए और मंत्री हो गए। सहोदय, नैतिकता का कोई मापदण्ड नहीं रह गया है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि इसका सम्बन्ध अखिल और प्रबल इच्छा शक्ति से है। यह विधेयक जो पहले से है, इसमें कुछ खामियाँ जरूर हैं। इसमें सेक्शन-2 को उपधारा-1 में जो 6 महीने के अंदर सदस्यता ग्रहण करने वाली बात है यह बिल्कुल गलत बात है। इसका संशोधन होना चाहिए।

माननीय विधि और न्याय मंत्री जी यहाँ बैठे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि आपका दल बदल कानून तो पास हो गया है; लेकिन इसका कोई असर मुझ प्रतीत नहीं होता है। असर इसलिए नहीं लगता क्योंकि आज हम यहाँ पर हैं और कल आप हम को लालच देंगे तो हम वहाँ चले जाएंगे। इसमें हमारा क्या नुकसान होगा। आप हमको उप-मुख्यमंत्री या कांग्रेस का अध्यक्ष बना देंगे तो एंटी डिफेक्शन की जो मंशा है उसका पालन नहीं हो जाएगा। इसलिए माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मेरा पवन कुमार बंसल जी, इनकी सरकार से और इनकी पार्टी के लोगों से विवेचन है कि आप इसमें एक संशोधन जरूर लाएं। मैं पवन कुमार बंसल जी की विद्वता से हमेशा प्रभावित रहता हूँ। वे सदन में अपने भाषण में बड़े ही तर्कपूर्ण विचार रखते हैं। मैं चाहूंगा कि वे इसमें एक संशोधन ले यह आए कि अगर एक पार्टी छोड़कर कोई आदमी दूसरी पार्टी में जाए तो उसको आप कोई बड़ा ओहदा नहीं दें। आप कुछ दिन उसका ट्रायल करें।

**श्री नरेश सी० पुगलिया (महाराष्ट्र) :** सहोदय, मैं सम्माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूँ कि एक पार्टी छोड़कर कोई यदि दूसरी पार्टी में जाता है तो उसको बड़ा ओहदा न दें इस बात से हम सभी सहमत हैं, लेकिन हमारी पार्टी से जो लोग आपके पास आए हैं,

[श्री नरेश सी० पुगलिया]

उनको तो आपने आल इंडिया का अध्यक्ष बना दिया है।

**श्री ईश दत्त यादव :** आपको पार्टी से छोड़कर आए और फिर चुनाव लड़े, निर्दलीय चुनाव लड़े और इलाहाबाद में आपको भारी सिकस्त हुई, पुरी दुनिया जिसकी गवाह है, तो आप स्टैंड नहीं कर सके ... (व्यवधान) ...

**श्री नरेश सी० पुगलिया :** जो निर्दलीय का चुनाव लड़ा है, वह कैसे पार्टी का अध्यक्ष हो सकता है ? ... (व्यवधान) ...

**श्री मुहम्मद अमीन अंसारी (उत्तर प्रदेश) :** हर पार्टी के हर विरादरी के लोग इकट्ठे हुए ... (व्यवधान) ...

**श्री ईश दत्त यादव :** माननीय अंसारी जी आप उस चुनाव के संचालक थे, पूरी तरह पराजित हो गए। अब उस गुस्से का इन्हें इस्तेमाल इस सदन में मत करिए। मैं मान्यवर फिर दोहरा रहा हूँ कि कोई आदमी दल-बदल करता है तो इस कानून से उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। दल-बदल करने से पहले वह त्याग-पत्र दे सकता है। सदस्यता समाप्त करके भी और दल-बदल करके भी आपके पास चला जाएगा और आप उसको इनाम दे देंगे, फिर इस कानून का महत्व क्या रह जाएगा ?

अभी हमारे उत्तर प्रदेश में रोज़ अखबार में निकल रहा है कि एक सज्जन अध्यक्ष हो रहे हैं उप मुख्यमंत्री हो रहे हैं। आज सवेरे तो एक साहब कह रहे थे कि नारायण दत्त तिवारी जी फिर से केन्द्र में आ रहे हैं वह जो यहां से गए हैं वह मुख्यमंत्री हो रहे हैं वह सब कुछ हो जाएं मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है लेकिन फिर इस कानून का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। इसलिए माननीय उपसभाध्यक्ष जी मैं विधि और न्याय मंत्री जी से चाहूंगा कि इस तरह का भी कानून बनाइए और भी कानून बनाइए। इसलिए अभी आप इस पर रोक लगा सकते हैं।

माननीय उपसभाध्यक्ष जी यह कानून जब नहीं बना था तो उस समय भी इस देश में चरित्रवान व्यक्ति थे। स्वर्गीय आचार्य

नरेन्द्र देव जी और उनके साथ जिसमें एक विधायक मेरे आजमगढ़ जिले के थे, श्री गजाधर प्रसाद जी उन्होंने भी जब कांग्रेस पार्टी छोड़कर समाजवादी दल में सम्मिलित हुए तो त्याग पत्र दे दिया था विधान सभा की सदस्यता से/वे चरित्रवान व्यक्ति थे, ऐसे चरित्र की आवश्यकता इस देश में है और जब तक इस तरह के चरित्र का निर्माण नहीं होगा तब तक कानून में जितने भी संशोधन किए जाएं उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है।

मान्यवर माननीय विक्ल जी चले गए। बुजुर्ग हैं मैं उनका हृदय से सम्मान करता हूँ। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के बारे में कह रहे थे कि उनको त्याग पत्र दे देना चाहिए था मैंने बीच में हस्तक्षेप भी किया था लेकिन जहां तक मुझे स्मरण है कि जब चौधरी चरण सिंह 1967 में संविदा सरकार के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो माननीय विक्ल जी भी उसमें केबिनेट के रूप में सम्मिलित हो गए थे, उन्हें लीडर मान लिया था। चरित्र की बात दसरी होती है व्यवहार की बात दसरी होती है। स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने रेड्डी का प्रस्ताव किया गिरी जी को वोट दिया। यह अंरात्मा की आवाज नहीं जिसका समर्थन विक्ल जी कर रहे थे।

माननीय उपसभाध्यक्ष जी, माननीय बंसल जी ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है, मैंने उसके प्रारम्भ में कहा था कि यह व्यवहारिक नहीं प्रतीत होता क्योंकि जो आपने संशोधन प्रस्तुत किया है इसकी दोनों प्रतियां हिन्दी और अंग्रेजी की मेरे पास हैं और मुझे ऐसा लगता है कि जो आपने संशोधन प्रस्तुत किया है इसमें विरोधाभास है। आपने कहा कि :—

“यदि वह उस दल का विरोध करते हुए जिससे वह संबद्ध है, किसी अन्य दल द्वारा बुलाई गई किसी बैठक में उस दल के साथ मिलकर के सामान्य हितों के लिए भाग लेता है अन्यथा इस प्रकार का कार्य करता है जिससे उसका अपने दल से संबंध का पृथक्करण करना प्रकट होता हो..

लेकिन आपने इसमें प्राविजो दे दिया है --

“परन्तु यह व्यक्ति की गई राय जो राजनीतिक दल से संबंधित हो, आदि”

फिर इसकी डिमार्केशन लाइन कहीं नहीं है। मान लें कि किसी प्रदेश में कहीं गोली चल जाए, फायरिंग हो जाए और माननीय बंसल जी सहमत न हों सरकार से और सरकार के गलत काम करने के विरुद्ध हम लोग मीटिंग बनाएं और उसमें माननीय बंसल जी भी सम्मिलित हो जाएं और ये भी सरकार को कटिभाइव करें कि सरकार की कार्यवाही गलत थी तो क्या होगा? इसको कौन डिमार्केशन करेगा? फिर डिमार्केशन की लाइन इसमें कहीं है? एक जगह तो विचार यह प्रकट करते हैं कि सरकार की दल की निन्दा नहीं होनी चाहिए और फिर कहते हैं कि व्यक्ति स्वातंत्र्य भी रहेगा।

दूसरा निवेदन मेरा इस संबंध में यह है कि संविधान में भाग 3 में जो मौलिक अधिकार हैं अनुच्छेद 19 में उनका हनन हो जाएगा। जब तक भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 है जिसका संबंध मौलिक अधिकारों से है, एक्सप्रेसन आफ स्प्रीच से है, तब तक यह संशोधन व्यावहारिक नहीं होगा और यह संविधान की व्यवस्था और मूल अधिकारों के प्रतिकूल होगा।

महोदय, मैं बंसल जी के विचार और उनकी भावना की कद्र करता हूं, इसलिए करता हूं कि ये पीड़ित हैं इस बात के लिए जिस के लिए हम सब लोग चिन्तित हैं कि इस देश के अंदर दल बदल नहीं होना चाहिए। दल बदल से सरकारें गिरती हैं, सरकारें बनती हैं और जनता की जो आकांक्षा रहती है, जो इच्छा रहती है, जो अपना मत देकर जनता किसी व्यक्ति को सदन में भेजती है, उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है। इन्हीं भावनाओं से माननीय बंसल जी ने यह संशोधन प्रस्तुत किया है उनके विचार, उनकी भावनाएं मुझे पसंद हैं, लेकिन यह संशोधन बिल्कुल व्यावहारिक नहीं है। इसलिए मैं इसका समर्थन करने में असमर्थ हूं। लेकिन एक निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम

से माननीय विधि और न्याय मंत्री जी से और माननीय बंसल जी से और उनकी पार्टी के तमाम लोगों से कि ऐंटी डिफैक्शन ऐक्ट में आप कुछ संशोधन करें मैंने जो सुझाव दिए हैं, जो अच्छे होंगे, लाभदायक होंगे, देश के हित में होंगे, उनको आप मान लें।

धन्यवाद।

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): Thank you for giving me this opportunity to speak on the Constitution Amendment Bill brought forth by the honourable Shri Pawan Kumar Bansal. This amendment is necessitated by the peculiar circumstances under which some Members of Parliament are functioning today. There were two conditions in the original Act on which a member could be disqualified, whether a Member of Parliament or a Member of a Legislative Assembly—if he gives up voluntarily his membership of the House or if he votes or abstains from voting against the party will. But developments have taken place and circumstances have changed and now we find certain Members who oppose the declared policy and the principles of the political party to which they belong, defy the directives of the party and they also issue statements; not only that, they oppose the leadership. And yet they maintain their membership either of Parliament or of the Legislature. People can say very well that is value based politics; they talk of morality in politics. But I find most of the members who had been zeroes in the Congress Party became heroes in other parties which they adopted. They are leading the political parties which they join. This is a sorry state of affairs. So, there should be a code of conduct for political parties to the effect that if any person is expelled from a political party, he should not be taken in any other political party. Apart from this, I will go a step further. They go out of one political party and they themselves form a political party of their own. We all know that even our own Member, a former Member and veteran leader, Shri Uma Shankar Dikshit, when he was in the Lok Sabha, introduced a Bill in 1975 to the effect that if any member defied a party whip that particular member should be disqualified from the membership of the House. This was done dur-

[Shri V. Narayanasamy]

ing the Congress(I) period. Thereafter, when the Bill was moved during the Janata period when Shri Morarji Desai was the Prime Minister and the honourable Member, Shri Madhu Limaye was moving the Bill, there was a strong objection and protest from the Janata Party. Now, the Member who is there in the Lok Sabha, Prof. Madhu Dandavate, went and reported to Shri Morarji Desai that the Private Member's Bill should be withdrawn. Sir, history will show. It is the Government headed by Shri Rajiv Gandhi, our Prime Minister, which took bold steps to bring forward this Bill because of the political immorality indulged in by various political parties in this country. I am pained to say this. Why do the leaders go out of our party? It is very simple. It is nothing but power-hunger; they are power-hungry. Kindly see how it happens. Now, these persons are those who were Ministers in the Congress(I) Government—I do not want to name them—and the Opposition Members sitting on the other side accused them of being corrupt and they accused them of many things. They ask why Mr. Rajiv Gandhi is keeping those persons in the Cabinet. So, when the Congress(I) Party expelled them or suspended them for anti-party activities, these very persons have been welcomed with open arms by the Opposition parties and these people have been given a red-carpet reception by the other political parties. The worst part of it is that these people are leading the other political party in which veteran leaders are there! A person who is a socialist will not accept it. It is these peculiar circumstances which made Bansalji bring forward this Bill and he has brought forward this Bill. Such people are sitting in this House or in the Assembly and the Congress (I) Party to which they belong has suspended them from the party. What are they doing? They are issuing statements against the party leadership. Not only that. They are criticising the leader of the political party which has elected them and sent them to the Legislative Assembly or Parliament. There is another important thing. They are all

very clever people. When they form a political party, it is not recognised by the Election Commission. So, they say that it is not a political party, but it is a group of intellectuals who have joined together for some purpose. Under that cover, they want to circumvent the provisions of the anti-defection law. You kindly see their dishonesty. When a three-line whip is issued by our party, these people vote in favour of the Congress(I) Party. Those persons to whom a three-line whip is issued by a political party vote in favour of that party inside, but they revolt outside against that party to which they belong. Is it political morality?

Therefore, Sir, these are all the factors which have led to this situation and we have seen the practical problems in our political life which prompted Bansalji to bring forward this Bill. I would like to give one example. You can also see from the press statements and also the public utterances of some of the persons who have been suspended from the Congress(I) Party. They challenge the leadership saying how a political leader, the Congress(I) President, can remove the membership as a Member of Parliament or a member of the legislature party. They have been challenging. Why are they challenging? They know fully well that action will not be taken. That is the presumption and the feeling. Sir, the leadership is not going to submit to the threatening calls given by these political leaders. Sir, we are taking steps. Those persons who have defected from the Congress Party should have the moral responsibility to resign from the posts which they are holding either as Members of Parliament or as Members of Legislative Assemblies. They had been elected from that party and they want to defy the party directives. But they issued statements that the Congress Party cannot remove their membership. That they are challenging. They are questioning the authority of the Congress Party. What for have we the anti-defection law? It is not for keeping it on the Statute alone. We want that that Act should be brought into force and it should be implemented with full vigour. Sir, I would like to

say that some leaders on our side and on the other side also and also in the Lok Sabha—I do not want to name them personally—defied the Congress Party. But they wanted to enjoy all the benefits which the Congress Party has given to them. Yadavji, who was a Member of this House, who belonged to the Janata Dal, took the decision that he did not want to continue in that party. He resigned his post. He resigned his membership of the Rajya Sabha. Will others follow it? Sir, I put it before this House that these leaders who went out of the Congress Party or the Congress Party has suspended them should voluntarily give up their membership of this party and they should file affidavits before the Chairman here and also the Speaker in the Lok Sabha. They should resign and they should go to the people. Then the people will decide whether these people have policies and programmes. The MPs in the Lok Sabha and in the Rajya Sabha who have been suspended from the Congress (I) Party, who are still holding the position of membership of the House and also in some of the Assemblies should realise that if they go against the political party which has elected them, they should lose the membership of the House, either of Lok Sabha or Rajya Sabha. Sir, in 1985 when the anti-defection law was brought before the Lok Sabha, there was a talk that if any Member has been expelled from the political party to which he belongs, his seat is automatically vacated from either the membership of the House, either Lok Sabha or Rajya Sabha or Assembly. The Opposition leaders argued that this particular provision should not be there and this should be left to the discretion of the Chairman of the Rajya Sabha and the Speaker of the Lok Sabha to decide. Now, in the particular circumstances which have been created by some of the leaders, some of the Members, either of the Congress(I) Party or of some other political parties—some of them have defected—now the defection has become the order of the day.

Sir, actually I would like to say that since the anti-defection law is enforced, the political parties have to maintain some restraint and control over the

legislators. That even the Opposition have to admit and the Opposition parties have to admit. Otherwise it will be free for all and everyday there will be a fall of Government in one State or the other. These leaders should be grateful to our Prime Minister, Shri Rajiv Gandhi. This steps was taken to see that there is value-based politics, that there is elimination of power brokers and that political morality among political leaders in this country is maintained. With these words, I support the amendment brought forward by Shri Bansalji. I hope the hon. Minister will agree with the views expressed by the Members of this House.

**SHRI GHULAM RASOOL MATTO** (Jammu and Kashmir): Mr. Vice-Chairman, Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak on the Constitutional Amendment Bill as introduced by Shri Pawan Kumar Bansal. The Constitution (Fifty-second Amendment) Bill, 1985, was passed by this House unanimously, as well as recall, without any dissension and without any no-vote because of the fact that we all wanted that we should have clean politics, clean politics in elections and clean politics in all spheres of politicking. Experience has shown that there are certain lacunae in this Constitution (Fifty-second Amendment) Bill which need to be plugged. I would have thought that now that four years have lapsed since this Constitution (Fifty-second Amendment) Bill was passed, the Government *suo motu* would have convened an all-party conference or a conference of all the opposition parties and taken a view as to what actually has been the working of this Constitution (Fifty-second Amendment) Bill. There are many other lacunae which could be plugged. There are many points which have been mentioned in this House by many Members either from the ruling party or from the opposition and it has been suggested that there are certain lacunae in this Bill which need to be plugged. I still hope that the hon. Law Minister will take the initiative in convening an all-party conference to examine the working, to assess the working, of the Constitution (Fifty-second Amendment) Bill during the last four years. If there is any need of any further amendment in this law, that should also be done.



[Shri Ghulam Rasool Matto]

I recall in this connection the provision about one-third. It was used in the case of Nagaland and Mizoram in such a precarious fashion that one vote which was said to be in New York was counted or was not counted and on that hinged the destiny of that particular Government. Such other things are there which need to be considered.

I now come to Shri Bansal's amendment. Shri Bansal's amendment is really an amendment that needs to be taken by the Government very seriously. There have been instances which we have all seen during the last year. Several Members of this august House have openly outside this House participated in meetings, participated in deliberations and participated in actions against the party to which they were elected. But when the whip was issued, they were here and when the buttons were pressed, they ensured that they pushed the same button, either for 'aye' or for 'no'. But as soon as they were outside this House, they behaved differently and they acted differently. I think we need to take this into consideration. It is not only with regard to the Members of the ruling party, with regard to the Members of the Congress Party. I also say so with regard to a Member of our party, the National Conference, in the other House. Under the guise of this protection, he opposed us both inside the House and outside the House for about one and a half years. He was opposed to the alliance between the Congress and the National Conference and he was making propaganda against it outside the House and inside the House and was telling us always that "you cannot do anything; I am not coming under the whip and all that." Ultimately, only about two weeks back, we had to throw him out. We took this risk that let him continue as an unattached Member but let him not be a Member of our Party because if the media says that he is a Member of the National Conference and he continues to speak against this alliance and this and that and still he continues to be a Member, we felt that it is better that we remove him from the primary membership of the Party. Alas, this has not happened in the case of the Congress Party. My friend Mr. Bhardwaj is here. I can tell him that there are

one or two Members of this House belonging to the Congress Party who have been suspended and not removed from the Party, but they are the active members, they are the active office-bearers of other parties in the country. But no action has been taken. They have only been suspended and not terminated. Prof. Lakshmananna said that, perhaps, it will not stand the test of the judicial process. I do not know how he says that. Of course, the Minister will tell us in his reply. In some High Court or the Supreme Court, there is already a case pending against the Fifty-Second Constitution (Amendment) Bill. If it can stand the test of time here, that is, if any person violates the whip of the party, then his nomination can be terminated, why then, if he actively propagates against the party outside the House, he should not be expelled? And how can it not stand the test of the judicial process? I think, it can stand the test of the judiciary. But, as a member of abundant caution, I would request the hon. Minister that if some legalistic terminology is to be given by the amendment proposed by Shri Bansal, he should respond to the spirit of Shri Bansal's proposal. I think, the Government would respond to the spirit of Shri Bansal's proposal and come forward with an amendment to the Fifty-Second Constitution (Amendment) Bill and incorporate the spirit of Shri Bansal's Bill. I think, there should be no difference of opinion from any party about the spirit of Shri Bansal's Bill. It is not a question of the Congress Party alone. It is a question of the other parties also. Their Members have crossed the floor. And if their Members still continue to be there but oppose them outside, they can also take action against them. I think, this is not confined to the ruling party alone. It is not for the ruling party alone, it is for the entire political system of the country, it is for all the political parties that Shri Bansal has brought forward this Bill. While I fully support the Bill of Shri Bansal, I only request the hon. Minister that if in his legal opinion he feels that the wording can be changed to make it fool-proof in the eyes of the law, it should be made and he should come out with an amendment to the Constitution (Amendment) Bill as soon as possible.

With these words, I support the Bill.

श्री धर्मपाल (जम्मू और काश्मीर) : उपभाष्य महाशय, श्री बांसल जी ने आईन के दल-बदल में जो तरमीम का बिल पेश किया है मैं उसकी हिमायत खड़ा हूँ। यह दल बदल की बीमारी पूरे देश में आज से नहीं बल्कि बहुत देर से चली आ रही थी। हमने देखा कि केरल में कांग्रेस की जब सरकार थी तो मिस्टर जार्ज ने डिफेक्ट कर अपनी पार्टी केरल कांग्रेस बना ली। हमें यह भी याद है कि उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़े नेता हुए जिनका अब देहान्त हो चुका है वह कांग्रेस पार्टी में थे उनकी कोई खाहिश पूरी न हो सकी तो पार्टी के 16 मੈम्बरों के साथ 17वें मੈम्बर वे खुद थे कांग्रेस को छोड़ कर और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हो गये। आनरेबल ला मिनिस्टर साहब के मध्य प्रदेश में हम जानते हैं डी०पी० मिश्रा साहब की सरकार थी उस वक्त के नेता जो पहले दूसरी तरफ भी गवर्नर रहे और हमारी तरफ भी आए उन्होंने डिफेक्ट किया और चीफ मिनिस्टर बन गये। लेकिन सब से ज्यादा हरियाणा में जब दल-बदल होता रहा तो हर जवान पर आया राम गया राम का मशहूर किस्सा हो गया। आज आया राम इस पार्टी में है तो कल दूसरी पार्टी में होंगे। बात यह है कि उस वक्त उन विधायकों का नाम आया राम और गया राम भी था। लेकिन यह मिसाल पूरे देश में हर जगह हो गई कि आया राम आज जो इस पार्टी में है कल दूसरी पार्टी में होगा। दल-बदल का नाम पड़ गया। ठीक है, देश में हम से लोग नाराज हुए और एक और पार्टी जमता पार्टी के नाम से देश में आ गई और कई क्रेडिट लेते हैं कि उस वक्त हमने वह बिल इन्द्रोड्यूस करा दिया एंटी-डिफेक्शन का, हमने देखा वह सिलेक्ट कमेटी बनी और पार्लियामेंट में वह कभी आया ही नहीं और आज कहते हैं कि हमने भी पेश किया था। कांग्रेस और श्री राजीव गांधी को इसका क्रेडिट नहीं जाता। लेकिन वे पास नहीं कर सके, इस तरीके से वह पार्टी चली गई। जो वायदा हमारे देश के सामने नौजवान नेता श्री राजीव गांधी ने

किया मैसिव मंडेट के बाद कि देश की सियासत में से दल-बदलियत का खात्मा किया जाए तो देश के आईन में 52(2) अमेंडमेंट 1985 में वह लाये, जिसकी सब ने सराहना की, आपोजिशन ने भी और देश ने भी तो जसमें यह है उस तजुर्बों ने हमें बताया है उसमें तो दावा तो बातें थीं कि अगर कोई मੈम्बर जिस पार्टी के टिकट से चुना जाता है अगर वह वालंटरी उसकी मੈम्बरशिप छोड़ता है तो वह मੈम्बर नहीं रहेगा। या यह है कि अगर तु टोटल स्ट्रेन्थ जिस पार्टी की है और वह समझते हैं कि हम छोड़ रहे हैं तो वह डिफेक्शन नहीं है। या फिर यह है कि वह अगर चीफ व्हिप की खिलाफवर्जी करता है तो वह नहीं रहता है या जान-बूझ कर चेंज करता है, लेकिन तजुर्बा देखें और सियासत में कुछे लोग आ गए जिनकी कट्टीबूशन पोलिटिक्स या जंगे आजादी में कुछ भी नहीं थी, वह कुछ नहीं थे उनको बनाया कांग्रेस की आइडियोलोजी ने, कांग्रेस ने जिनको बनाया। मेरे प्रदेश को मिसालें हैं और उत्तर प्रदेश की भी हैं तो उन्होंने खुद इस्तीफे के वक्त कहा कि मैं गांव का रहने वाला था और कांग्रेस की परंपरा आइडियोलोजी को बज्रह से इस पदवी पर पहुंचा और सैन्डल मिनिस्टर भी हुआ। तो वेल्यू बेस्ड पोलिटिक्स की जो लोग बात करते हैं वे बड़े नेता हैं और ब्रैडकिस्मती से देश की यह आपोजिशन इतने सालों-साल से कोई लीडर तलाश नहीं कर सकी और प्रधान मंत्री बनना चाहते थे और अब भी चाहते हैं और कांग्रेस से निकाले हुए आदमी, कांग्रेस ने जैसे रिजेक्ट किया, तब भी लीडर मिला कांग्रेस से निकाला हुआ ही। हम देखते हैं चाहे पार्लियामेंट्री बोर्ड है, बड़े-बड़े औहदे हैं वही लोग कांग्रेस के आज वेल्यू बेस्ड पोलिटिक्स की बात करते हैं। कांग्रेस के टिकटों पर चुने गए पार्लियामेंट्री बोर्ड के मੈम्बर रहे, माइनारिटी कमिशन के चेयरमैन हैं और जनता दल के प्रेसीडेंट हैं जिन्हें कांग्रेस की बदौलत यह पदवियां मिली, ऊंचे औहदे हासिल किए और फल खाए। बात तो यह है

[श्री धर्मपाल]

कि इनको छोड़ना चाहिए था और बना क्या जिशा जन मोर्चा । वह कहें कि कोई पोलिटिकल पार्टी नहीं, यह ऐसी आवाज है इस देश में जो सिखासत है उसको सही दिशा में ले जाने के लिए वह बना है । उसने कहा कि पोलिटिकल पार्टी कोई नहीं है । पोलिटिकल पार्टी होती तो वह उनको मँबरशिप चली जाती । कहते हैं कि हम कांग्रेस का आल्टरनेटिव हैं जिसका कि सौ साल से ज्यादा का इतिहास है । वह उसका बदल बन रहे हैं । नहीं छोड़ा, मरफेड़ हो गए पार्टी विप, विप भी जब आता है तो वोट देते हैं हमारे साथ इस हाउस में भी उस हाउस में भी, बड़े-बड़े नेता हैं, नाम क्या ले, पार्लियामेंट्री बोर्ड के मँबर हैं, औहदेदार हैं, प्रेसिडेंट हैं । तो वह तर्जुबा हमारे सामने आया, एक पार्टी को टिकट पर चुने गए, पार्टी वह छोड़ते नहीं हैं और जो हम कहें उसका भी हमारे साथ-साथ देते हैं । बाहर आकर कुछ कहते हैं । अब जताब जो बांसल साहब ने बिल लाया इस तर्जुबे के बुनियाद पर है । जन मोर्चा के लोग जन मोर्चा को खत्म करके फिर वह लोक दल और जनता बाल मिल कर और फिर वह जनता दल जो हो गया, आल्टरनेटिव जो कहते हैं कांग्रेस का उन्होंने सीटें नहीं छोड़ी, मैं तो मुबारकवाद देना चाहूँगा राम नरेश आदब जो को, बड़ रहे हमारे खिलाफ और जब उन्होंने देखा तो उन्होंने खद कहा कि यह जनता दल नहीं यह तो दल-दल है । इतना अनुभव जब उनकी हुआ तो उन्होंने छोड़ दिया ।

उन्होंने छोड़ दो जैम्बरशिप । मैं कहना चाहूँगा कि उनके चार साल से ज्यादा बाकी थे और जिनके आठ महीने बकाया है, वह शरीर होता चाहते हैं कि कांग्रेस उनको निकाले । उनको खुद छोड़ देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है । यहाँ इस हाउस में भी हमारे दो लोग हैं, एक तो बड़े नेता हैं, मेरे ही प्रदेश के हैं, सेंटर में भी मिनिस्टर रहे हैं, माइनोरिटी कमिशन के चेयरमैन, छोड़ते नहीं । आप कांग्रेस के टिकिट

पर चुने गए, हमने खुद वोट डाला था जब वह बने थे सितम्बर में, तीन साल होने वाले हैं । लोग इन बातों को देखेंगे, जब वक्त आएगा, जब लोग अपनी राय देगे, वोट देंगे ऐसे लोगों को रिजेक्ट करेंगे, ऐसे लोगों को और पार्टियों को रिजेक्ट करेंगे । मुझे तो रोना आता है आपोजिशन पर, खिचड़ी की तरह जमा हुए, अलहदा-अलहदा खयालात के लोग इकट्ठे हुए, सत्ता पाने के लिए कई जगह और ऐसी-ऐसी बातें हो रही हैं ।

मेरा कहना है, एक सूरत और है, ला मिनिस्टर साहब, कि एक आदमी पार्टी के टिकिट से चुना गया, हाऊस में सरकार की मुखालफत करता है, सरकार के बिल की मुखालफत करता है, लेकिन जब वोट देने की बात आती है हमारे साथ, तो हम बना करेंगे । तर्जुबा खराब कर लेगा, अभी यहाँ दो लोग जैसे बैठे हैं, तर्जुबा खराब करेंगे, जितना कुछ बोल सकेंगे, आपोजिशन से ज्यादा बोलेंगे, लेकिन जब विप आएगा तो वोट हमारे साथ देंगे । एक सूरत और है इनके बिल में, अगर एक आदमी एक पार्टी का विधायक है, एम.पी. है, दूसरी पार्टी के स्टेज पर जाता है और उनका समर्थन करता है तो वह मेम्बर, न रहे । एक सूरत यह हम भक्तों है कि अगर दो पार्टियों को मिलीजुली सरकार है, जैसे जम्मू-कश्मीर है, हमारी आल इंडिया पार्टी है, आग्निजल पार्टी है या कोई और सूरत बन सकती है पोलिटिक्स में, उसमें क्या होगा ... (व्यवधान) ...

**उपसभाध्यक्ष (श्री सत्य प्रकाश मालवीय):**  
वहाँ कुलेशन तो नहीं है ।

**श्री धर्म पाल :** मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जम्मू-कश्मीर में है और ऐसा हो सकता है, उसमें एक पार्टी का आदमी है, वह अपनी पार्टी को क्लिफाई करता है, उसकी क्या सूरत बनेगी ?

यहाँ तक बिल की मंशा है, विमत है, बहुत साफ है । तर्जुबे ने जो हमें बताया है, तर्जुबा बहुत अच्छा रहा,

बिल बहुत अच्छा था, पूरी कंटी में स्वागत हुआ, लेकिन जब अमल शुरू किया तो उस पर यह सूरत निकली कि कुछ लोग हैं, सत्ता के भूखे लोग, वह पार्टी के टिकिट पर चूने गए, छोड़ना चाहते नहीं, बिहप के साथ देते हैं और बाहर जाकर पार्टी के खिलाफ बातें करते हैं। तो उसका इलाज ढूँढ़ने के लिए हम मशकूर हैं बांसल जी के, कि बहुत सोच-समझकर वह यह बिल लाए। इसके अलावा कुछ बातें जो मैंने अर्ज की, उसकी तरफ ध्यान देते हुए ला-मिनिस्टर अगर कोई अमेंडमेंट चाहते हैं तो कर दें, लेकिन यह बिल पास होना चाहिए। मैं इसका समर्थन करता हूँ। शुक्रिया।

**श्री मुहम्मद अमीन (उत्तर प्रदेश) :** काबिल एहताराम उपसभाध्यक्ष जी, जनावे-वाला मोहतरम पवन कुमार बांसल जी का पेशकशी संविधान संशोधन विधेयक, 1988 को मैं तारीफ करता हूँ। उन्होंने अपनी तकरीर में तफसील में खुलकर गहराई में हर पहलू को उजागर किया। इसमें मुल्क की जहूरियत को और ताकत मिलेगी। पार्टी व सरकार इसकी सख्ती से अमली जाना पहनाएँ, यह मेरी गुंजरिश है।

मैं बांसल साहब एक शेर आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, उपाध्यक्ष जी की इजाजत चाहता हूँ :—

रोशनी खुद मिटा देगी अंधेरी का वजूद, तुम लहू दे के चिरागों को जलाओ तो सही।

आपकी हिम्मत और हौसले की दाद देते हुए मैं कहना चाहता हूँ अपने वजरी-कानून साहब से कि अगर जरूरत महसूस करें तो कुछ और तरमोम और इजाफा चाहे मुल्क के इस्तेकाम और सफाद के लिए तो कर दें, चूँकि बार-बार बिल लाना मुनासिब नहीं है। मेरी यह एक गुंजारिश है, मुनासिब समझें तो। वैसे यह बिल बहुत ही जानितब और साफ-सुथरा है, गुंजाइश कहीं दिखाई नहीं पड़ती।

मैं बार-बार बांसल साहब को मुबारक बाद देना चाहता हूँ। हाँ, जिनकी आत्मा मर गयी है, उपसभाध्यक्ष जी आप और हम दोनों आदमी इलाहाबाद के हैं। आप भी उनको जानते हैं। मैं वी.पी. सिंह को राजनीति में लाया हूँ। ...

**(व्यवधान)**... मैं उनका नेता था, वह मेरे नेता नहीं थे। मेरी नेता इन्दिरा जी थी जिन्होंने तिरंगे को बहुत ऊँचा उठाया। महोदय, मैं वी.पी. सिंह को लाया और ले जाकर उनके दरबार में पेश किया। चरण छूए, वफादारी का इकरार किया। इसका मैं गवाह हूँ, मुझसे बड़ा गवाह मिलने वाला नहीं है। मैं नेहरू परिवार का एक मामूली सा अदना-सा खादिम हूँ। मैं ही नहीं, मेरा खानदान है। हाँ, जिनकी आत्मा मर गयी है, उन्होंने अपनी आँखों पर पट्टी बांध ली है। कानों में शीशे लगा लिया है। जिसकी जुबान बेलागम हो, ऐसे बेवफा और धोखेबाजों को क्या कहा जाए? यादव भाई, मैं हालात को मददे नजर रखकर एक शेर सुनाना चाहता हूँ... **(व्यवधान)**... मट्टू साहब, आपसे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। आप मेरे कुजुर्ग हैं... **(व्यवधान)**... और मुझसे वे इत्फाक करेंगे। यादव भाई, सुनिए।

रहने भी दो दोरो, इन राख के ढेरों को।

ये वी.पी. की सियासत के खबसार के गाजे हैं।"

अभी खोलूंगा तो जो चमक लगी है, वह साफ हो जाएगी। ... **(व्यवधान)**... वे तो जनता दल को भी डबाने वाले हैं। ऐ जनता दल के भाइयों, होशियार हो जाओ। मैं कहता हूँ कि अभी वक्त बहुत है, नेता बदल लो। जो राजीव गांधी का न हो, जो इंदिरा गांधी का न हो, जो कांग्रेस का न हो वह देश का वफादार कैसे हो सकता है? तुम्हारी पार्टी का वफादार कैसे हो सकता है। इसलिए होश में आ जाइए और नेता बदल लीजिए। अभी सवेरा है। देखिए अभी एक गुट आपके साथ

[ श्री मुहम्मद अमीन ]

नहीं है। वह अपनी बांसुरी अलग बजा रहा है।

उपसभाध्यक्ष (श्री सत्य प्रकाश मालवीय):  
आप बिल पर बोलिए।

श्री मुहम्मद अमीन अंसारी : यादव भाई ने छेड़ दिया था, इसलिए मैंने कहा। ... (व्यवधान) ... सुनि ए. वी. पी. सिंह जैसे मामूली हैसियत के आदमी जैसे हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं। वी. पी. सिंह कांग्रेस पार्टी कांग्रेस के निशान और कांग्रेस पार्टी के लीडर की हैसियत से जाने-पहचाने गए और विधान सभा से लेकर लोक सभा और राज्यसभा तक पहुंच गए। वह आदमी कांग्रेस और नेता को बुरा कहे। जो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का अध्यक्ष रहा हो, जिसने अपनी विरादरी को टिकिट जानकर दिया हो। ... (व्यवधान) ... मैं तब भी बोला था। इस बात की गवाही आपके बहुत से आपके साथी उसकी गवाही देंगे। यह वह आदमी है और उनके साथ लोग हैं। लेकिन, मान्यवर, मानवता होती है। सभ्यता होती है, तहजीब होती है। अगर वह जाते थे तो चले जाएं। बेहोशा जाओ, क्योंकि इंदिरा जी और राजीव जी ने तुम्हारी शक्ल को पहचान लिया था। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि उनके जो साथी राज्यसभा में हैं या लोक सभा में हैं या विधानसभा में हैं वे कल के कल इस्तीफा दे दें, तब हम समझें कि बहादुर हैं। ... (व्यवधान) ...

5 P.M.

उपसभाध्यक्ष (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : 5.00 बजे गए हैं, अब आप अगली तारीख को बोलिए, आपको मौका मिलेगा अगली तारीख को। (व्यवधान) 5.00 बजे के बाद नहीं चला सकते इसको। ... (व्यवधान) ...

श्री मुहम्मद अमीन अंसारी : मैं समेट रहा हूँ। मैं खतम कर रहा हूँ। ... (व्यवधान) ...

उप सभाध्यक्ष (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : अब आप कृपया बैठ जाइए। इसका नियम यह है कि 5.00 बजे के बाद नहीं चलाया जा सकता। अब अगली तारीख को बोलिएगा। (व्यवधान) Now we take up special mentions, (Interruptions). अब आप बैठ जाइए।

### SPECIAL MENTIONS

Ineffective Implementation of Poverty Alleviation Programmes in Uttar Pradesh.

श्री ईश दत्त यादव : (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, इस विशेष उल्लेख के माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश के जनपदों के पिछड़ेपन, गरीबी और बेकारी की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

देश को आजाद हुए लगभग 42 वर्ष हो रहे हैं परन्तु उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों के लोगों की आर्थिक स्थिति और जीवन-स्तर में कोई सुधार नहीं हो सका और यही कारण है कि यहां की जनसंख्या के लगभग आधे से अधिक लोग गरीबी से नीचे जीवन-यापन कर रहे हैं। 1947 से देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरन्त बाद ही भारत के प्रथम प्रधान मंत्री स्वर्गीय जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि राजनीतिक आजादी तो हमें प्राप्त हो गई परन्तु अब हमें आर्थिक तथा सामाजिक आजादी प्राप्त करनी है। 1971 में भूतपूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीया इन्दिरा गांधी ने भी गरीबी हटाओ का नारा दिया था, परन्तु खेद है कि यह सब केवल राजनीतिक नारे और कोरी कल्पना ही रह गए। आज भी कुछ समय पूर्व इसी सदन में प्रधान मंत्री राजीव गांधी जी ने नेहरू रोजगार योजना की घोषणा की है। संभव है इससे कुछ समस्याएं हल हो सकें, यह तो भविष्य बताएगा। इस समय तो मुझे यह रोजगार योजना नहीं, चुनाव योजना मालूम पड़ती है। 42 वर्षों की आजादी के बाद पूरा देश आर्थिक और सामाजिक आजादी प्राप्त नहीं कर सका। उत्तर